



शुचि दर्पण

स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

भ्रष्टाचार के दानव से भारत को मुक्त कराना है |
आओ करें प्रतिज्ञा कि अब भ्रष्टाचार मिटाना है ||



अक्टूबर 2021

October 2021

पूर्वोत्तर रेलवे

सतर्कता बुलेटिन

VIGILANCE BULLETIN

अंक - 31

Issue - 31

N. E. Railway



पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN - 2021

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

26th October - 01st November 2021



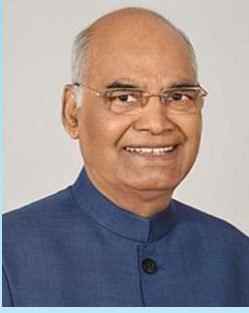
सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे-सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि -

- ◆ जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा।
- ◆ ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा।
- ◆ सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा।
- ◆ जनहित में कार्य करूँगा।
- ◆ अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा।
- ◆ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की सूचना उचित एजेन्सी को दूँगा।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति

भारत गणतंत्र

**PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA**

MESSAGE

I am happy to know that the Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week on the theme "Independent India @ 75 : Self Reliance with Integrity ; स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" from 26th October to 1st November, 2021.

As a nation, we have had a long and well-established tradition of integrity and ethics. It is our responsibility as citizens to re-affirm these ideals as we strive towards national development and self-reliance. It is the duty of all the citizens to be vigilant and combat corruption in every sphere of life.

I am happy to see that the Central Vigilance Commission is taking the necessary steps to bring the citizens together to strengthen our commitment towards progress and self-reliance while remaining rooted in our ideals.

I extend my greetings to all those associated with the organization of Vigilance Awareness Week at Central Vigilance Commission and wish the campaign every success.

(Ram Nath Kovind)

New Delhi
October 05, 2021



सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री Prime Minister

संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकारी प्रसन्नता हुई।

भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन-भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल भी करता है।

भारत का जन-सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह के विषय के रूप में 'स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' का चयन प्रशंसनीय है।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ देश गत 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है।

आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिन्दगी को आसान बना रही हैं। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया गया है, उसने सामान्यजन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है।

आज देश में जो सरकार है, वह देश के नागरिकों पर भरोसा करती है। पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन-जन में यह भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता।

आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। अमृत काल में हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है — राष्ट्र प्रथम। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग का यह आयोजन, एक बेहतर भविष्य के लिए जीवन में, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस पहल और भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
कार्तिक 03, शक संवत् 1943
25 अक्टूबर, 2021



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
**Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023**

सं० / No. 019/VGL/029
दिनांक / Dated 11.10.2021

MESSAGE

Vigilance Awareness Week (26th October to 1st November, 2021)

It is a matter of pleasure that during the current year the Commission has issued the guidelines for observing Vigilance Awareness Week from 26th October, 2021 to 1st November, 2021. The theme for the current year's Vigilance Awareness Week is as under:

“स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”
“Independent India @ 75 : Self Reliance with Integrity”

Self-reliance and integrity are the two ideals which need focus as they are important for achieving all-around progress and development of the country. During the Vigilance Awareness Week there is an opportunity for all to re-affirm ourselves towards our collective duty and responsibility to ensure transparency and integrity in the systems and procedures.

This year a special initiative has been taken to create awareness for the complaint mechanism available under the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. During the current year, all the organizations have also been requested to focus on improvements in internal processes and other house-keeping activities.

The commission appeals to all the citizens of the country to come forward, during the 75th year of Independence, and support the drive to achieve self-reliance with integrity.

(SURESH PATEL)
Central Vigilance Commissioner



सत्यमेव जयते



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAVAN, NEW DELHI-110001

MESSAGE

Central Vigilance Commission is celebrating Vigilance Awareness Week from 26th October to 01st November, 2021 with the theme "Independent India @ 75 : Self Reliance with Integrity ; स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" in a move towards commemorating 75 years of India's Independence. Accordingly, like every year Indian Railways will also carry out celebrations with the motive to weed out corruption and ensure integrity in public life.

Fight against corruption is not the sole responsibility of Vigilance organization but requires all out efforts from every Railway employee. Without complete commitment and devotion, it is not possible to fight corruption successfully. Therefore all the Railway men must make a united effort to root out corruption from the system. During the occasion, I would also like to mention that special emphasis to technology may be given to spread awareness about malice of corruption as well as to make our system more effective and efficient thus bringing more accountability and transparency.

Indian Railway is organizing the Vigilance Awareness Week in a motivated environment with a passion to sensitize the common man against the menace of corruption. Special efforts on following issues are being taken.

- i) Encouraging all for taking e-pledge by visiting the website.
- ii) Conduct of workshops/sensitization programs on policies/procedures.
- iii) Use of organizational website for dissemination of employees/customer-oriented information and to make available avenues for redressal of grievances, systemic improvements and good practices adopted.
- iv) Wide publicity to complaints under PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers).
- v) Extensive use of social media platforms, bulk SMS/e-mails, WhatsApp etc. for spreading awareness.

I strongly believe that observance of Vigilance Awareness Week by following the measures suggested by CVC will assist all Railway employees to work in the right direction and to fight against corruption. With this, I extend heartiest congratulation to all those associated in this drive.

With heartfelt good-wishes

(Ramesh Kumar Jha)

वी0के0 त्रिपाठी
महाप्रबन्धक
V.K. TRIPATHI
GENERAL MANAGER



पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर – 273 012
NORTH EASTERN RAILWAY
GORAKHPUR – 273 012



सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि पूर्वोत्तर रेलवे का सतर्कता विभाग, दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक **“सतर्कता जागरूकता सप्ताह”** मना रहा है और इस सुअवसर पर **“शुचि दर्पण”** नामक सतर्कता बुलेटिन का ई-संस्करण जारी करने जा रहा है, जिसके लिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा **“स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”** विषय को चुना गया है ।

भ्रष्टाचार हमारे देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा है और समाज के सभी वर्ग इससे प्रभावित होते हैं । अतः इस बुराई से मुक्ति पाने के लिए समाज के सभी घटकों को एक साथ मिलकर ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है । भारतीय रेल भ्रष्टाचार दूर करने के इस प्रयास से स्वयं को अलग नहीं रख सकता है और इस प्रयास में रेलवे के सभी हितधारकों की भागीदारी अपेक्षित है ।

मैं, पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन को ई-सतर्कता बुलेटिन **“शुचि दर्पण”** के प्रकाशन के लिए बधाई देता हूँ, जिसमें विभाग द्वारा रेलकर्मियों को भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक बनाने के प्रयास के साथ-साथ अपने हितधारकों को उनकी रचनाओं एवं लेखों के माध्यम से शामिल करने की दिशा में किया गया प्रयास प्रतिबिम्बित होता है । हमारा उद्देश्य ईमानदारी पूर्वक कदाचार एवं भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ वातावरण में सेवा प्रदान करना है और मैं कामना करता हूँ कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रम इस दिशा में सफल रहें ।

(वी0के0 त्रिपाठी)
महाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

डी0के0 सिंह
वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक
D.K. SINGH
Sr. Dy. GENERAL MANAGER



पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर – 273 012
NORTH EASTERN RAILWAY
GORAKHPUR – 273 012



सन्देश

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर रेलवे में **“सतर्कता जागरूकता सप्ताह”** मनाया जा रहा है। इस वर्ष 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक इसका आयोजन होना है, जिसकी विषय-वस्तु **“स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता”** है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लक्ष्य को सतर्कता संगठन अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है। हालांकि यह विभाग शिकायतों की जांच तथा जिम्मेदारी तय करता है, फिर भी अन्य विभागों को भी स्वस्थ कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अपने स्तर से एकजुट होकर प्रयास करना होगा और ऐसी संस्कृति तैयार करनी होगी जिससे कार्यालयी कार्यों में भ्रष्टाचार को पनपने से रोका जा सके। जब तक इस प्रक्रिया में प्रत्येक को शामिल नहीं किया जाता है तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना असम्भव होगा।

“सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के अवसर पर सतर्कता विभाग **“शुचि दर्पण”** नामक सतर्कता बुलेटिन का ई-संस्करण जारी करने जा रहा है। इस बुलेटिन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के अध्ययन को प्रतिबिम्बित किया गया है जिनमें भ्रष्टाचार संबंधी कृत्यों को सामने लाने के साथ-साथ रेलवे द्वारा हाल में जारी किये गये पद्धति सुधार शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि रेलकर्मियों इससे लाभान्वित होंगे तथा वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं सतर्कता से कर सकेंगे।

(डी0के0 सिंह)
वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय सूची

सतर्कता लेख:

क्रमांक	विषय	लेखक	पृष्ठ सं०
1	निवारक सतर्कता की अवधारणा	डी० के० सिंह	4-7
2	सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता	ए० पी० पान्डेय	8-10
3	कंक्रीट का टिकाउपन	भारत भूषण	11-15
4	Common Areas Of Concern In Commercial Contracts	जे० पी० सिंह	16-20
5	(GeM) : सार्वजनिक खरीद का एक नया अध्याय	अजित सिंह	21-23
6	The Litmus test of a good decision	सागर	24-25
7	Malpractices/Frauds in Mass Contact Areas	अमित कुमार श्रीवास्तव	26-28
8	पूरानी पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत मिलने वाले प्रमुख लाभ	जय प्रकाश	29-32
9	भ्रष्टाचार-एक नैतिक अपराध	आशीष सिंह	33-34
10	अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.टी.एस.) – “क्या करें, क्या न करें”	इन्द्रजीत गुप्ता	35-37
11	Preventive Vigilance: A tool for curbing corruption	आद्या वर्मा	38-39
12	“Be Vigilant”	श्रवण कुमार यादव	40-41
13	Key points to be ensured dealing Scrap Lots	कमलेश कुमार वर्मा	42
14	‘हम’ सतर्कता राही- “कविता”	नीरज कुमार श्रीवास्तव	43
15	सतर्कता सुखदायिनी: एक कहानी	पंकज कुमार	44-45
16	Irregularities committed by ticket checking staffs	सत्य प्रकाश चन्द	46-48
17	“सतर्कता जागरुकता सप्ताह” एक संक्षिप्त जानकारी	राकेश कुमार श्रीवास्तव	49

केस स्टडी :

18	अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के सबन्ध में	ए0 के0 शुक्ल	50
19	पैसा लेकर नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में	आनन्द कुमार	51
20	आश्रित पुत्र को सुविधा पास के सबन्ध में	विष्णु प्रसाद	51
21	अधिवर्षिता तिथि पर सेवा निवृत्ति नहीं किये जाने के सम्बन्ध में	लल्लन प्रसाद	52
22	अवकाश नगदीकरण के भुगतान में अनियमितता	उमा शंकर मिश्र	53
23	बिना कार्य के सम्पादन हुए भुगतान के सबन्ध में।	सोम चन्द सिंह	54
24	अनुबन्ध शर्तों के अनुपालन में पायी गयी अनियमितता	सोम चन्द सिंह	54
25	टेन्डर की जांच में पायी गयी अनियमितता	सोम चन्द सिंह	55
26	Pest & Rodent treatment के कार्य में पायी गयी अनियमितता	अशोक कुमार	56
27	टेन्डर स्कूटनी के दौरान पायी गयी अनियमितता	डी0 सी0 यादव	57
28	अनधिकृत रूप से मेडिकल पास प्राप्त किये जाने के सबन्ध में	नीरज कुमार श्रीवास्तव	58–59
29	अनुबन्धित डायग्नोस्टिक सेंटर्स द्वारा छूट नहीं दिये जाने सम्बन्धी मामले की जांच	नीरज कुमार श्रीवास्तव	60
30	एच0 एस0 डी0 आंयल में होने वाली अनियमितता	कमलेश कुमार वर्मा	61
31	नान-स्टाक मांगपत्र के सम्बन्ध में सतर्कता निवारक जांच	विनोद चन्द यादव	62
32	निविदा केसों में तकनीकी उपयुक्तता देने के सम्बन्ध में सतर्कता जांच	विनोद चन्द यादव	62
33	भंडारित मदों के लेखांकन के सबन्ध में	राकेश कुमार सिंह	63
34	Shortage of scrap delivery and delay in their refund	राकेश कुमार सिंह	64
35	Irregularities in installation and Commissioning of Data Logger	अनूप कुमार	65
36	DTH के रिचार्ज में पायी गयी अनियमितता के सबन्ध में	आलोक कुमार त्रिपाठी	66

37	निविदा में मदों का पूर्ण विवरण नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में	आलोक कुमार त्रिपाठी	67
38	मुख्य टिकट निरीक्षक द्वारा अनियमित रूप से यात्रा भत्ता का आहरण	रमन सिंह	68
39	स्थान शुल्क की गलत गणना कर रेलवे राजस्व को हानि पहुंचाने का मामला	राजीव कुमार श्रीवास्तव	69
40	Use of CCTV Footage To Debunk the False Claim	धनन्जय कुमार सिंह	70
41	ब्लैकेटिंग मैटेरियल का उपयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में	रजनी कान्त दूबे	71
42	निविदा दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में जांच	अतुल कुमार श्रीवास्तव	72

"Be Vigilant"
***"Guard your mind against
negative thoughts"***

'Gautam Buddha'

निवारक सतर्कता की अवधारणा

डी० के० सिंह
(वरि० उप महाप्रबन्धक)

भ्रष्टाचार को खत्म करने / कम करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और व्यापार में सुगमता लाने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के उपायों को अपनाना ही निवारक सतर्कता है। निवारक सतर्कता में प्रणालीगत सुधार शामिल हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने के अलावा बेहतर परिचालन परिणाम भी देते हैं। यह प्रबंधन और सुशासन का एक उपकरण है। यह मात्र मुख्य सतर्कता अधिकारी का ही कर्तव्य नहीं है बल्कि प्रबंधन में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी का भी दायित्व है।

भ्रष्टाचार के कारण:

निवारक सतर्कता का उद्देश्य संगठन के भीतर भ्रष्टाचार के मूल कारणों की पहचान करना, उससे निपटना/समाधान करना है। अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार के निम्न सामान्य कारण हो सकते हैं:

- (क) अत्यधिक विनियमन और लाइसेंसिंग।
- (ख) जटिल नियम और विनियम।
- (ग) माल/सेवाओं के वितरण पर एकाधिकार।
- (घ) पारदर्शिता की कमी।
- (ङ) जवाबदेही की कमी।
- (च) बहुत अधिक विवेकाधीन शक्ति।
- (छ) खराब नियामक ढांचा।
- (ज) खराब शिकायत निवारण तंत्र।
- (झ) भ्रष्टाचार का पता लगाने की दर बहुत कम होना।
- (ञ) जनता द्वारा भ्रष्ट आचरण की निंदा का अभाव।
- (ट) मूल्यों, नैतिकता और अखंडता को विकसित करने की औपचारिक प्रणाली का अभाव।
- (ठ) नियमित/आवधिक/आकस्मिक जांच की अपर्याप्तता।
- (ड) कठोर नौकरशाही ढांचा/प्रक्रियाएं।
- (ढ) अधिकारों, कर्तव्यों, शिकायत करने की प्रक्रिया, नियमों, कानूनों आदि के बारे में जागरूकता की कमी।

भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र:- निवारक सतर्कता का उद्देश्य संगठन के भीतर भ्रष्टाचार की चपेट में आने वाले क्षेत्रों से निपटना है। यद्यपि अलग अलग संगठनों में भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। कुछ व्यापक क्षेत्र सभी संगठनों के लिए समान हैं, जिन पर निवारक सतर्कता की एक प्रणाली स्थापित करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये संबंधित क्षेत्र निम्न हैं:

(क) खरीद: खरीद एक विशाल क्षेत्र है जिसमें स्टोर सामग्री और सेवाओं की खरीद से लेकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन तक शामिल है। यह सभी संगठनों में प्रमुख भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों में से एक है।

(ख) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री: वस्तुओं का निपटान (खरीद के विपरीत) और सेवाएं भी कुछ संगठनों में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसी तरह, दुर्लभ और/या कीमती प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है।

(ग) मानव संसाधन प्रबंधन: मानव संसाधन प्रबंधन सभी संगठनों के लिए सामान्य है और भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित प्रक्रियाओं में हेरफेर और भ्रष्टाचार की संभावना है।

(घ) जनता को सेवाएं प्रदान करना: हालांकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए यह सामान्य रूप से नहीं है, प्रमुख सरकारी विभाग जो सेवाओं के वितरण में शामिल हैं वहाँ भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्र हैं।

(ङ) प्रवर्तन: अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन भी मुख्य रूप से नागरिकों के बीच जागरूकता की कमी और अप्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के कारण भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है।

निवारक सतर्कता उपाय :-

निवारक सतर्कता उपायों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(क) नियमों का सरलीकरण और मानकीकरण: नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और मानकीकरण के परिणामस्वरूप विवेक और मनमानी का उन्मूलन होता है, जो बदले में भ्रष्टाचार को कम करता है। स्पष्टता और जवाबदेही लाने के लिए मौजूदा नियमों और विनियमों की पूरी समीक्षा के साथ-साथ दिशा-निर्देशों द्वारा शासित नहीं होने वाले विवेक का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। इसी तरह, फॉर्म/आवेदन का सरलीकरण और मानकीकरण भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करता है।

(ख) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक सक्षम रूप में प्रौद्योगिकी को प्रभावी माना गया है। ई-खरीद, ई-भुगतान, सूचना के प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग, सार्वजनिक व्यवहार के स्थानों में सीसीटीवी का उपयोग, जीपीएस सक्षम उपकरणों / आरएफआईडी का उपयोग, उपयुक्त विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त ऑडिट तकनीकें हैं।

(ग) स्वचालन: व्यापार प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग के साथ-साथ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आईटी को एक सक्षम के रूप में उपयोग करना निवारक सतर्कता के एक प्रभावी उपकरण के रूप में पहचाना जाता है। ऑटोमेशन सार्वजनिक अधिकारियों और आम जनता के बीच इंटरफेस/इंटरैक्शन को कम करता है। यह सेवाओं और व्यक्तिगत विवेक के वितरण में एकाधिकार को भी हटाता है, विवेक के अवसरों को कम करता है जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। इसलिए, संगठनों को ऑटोमेशन/ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आम जनता/ग्राहकों के साथ अधिकारियों के इंटरफेस को कम करने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि, आईटी सिस्टम अपने आप में एक अंत नहीं हैं; वे अंत के साधन हैं। इसलिए एक प्रतिक्रिया तंत्र के साथ-साथ अलर्ट की एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

(घ) बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर): बीपीआर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठनों को यह सोचने में मदद करता है कि वे अपना काम कैसे करते हैं और इस प्रक्रिया में, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं के पूर्ण पैमाने पर पुनः निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं को फिर से तैयार किया जा सकता है।

(ड.) पारदर्शिता: पारदर्शिता से जनता और लोक अधिकारियों के बीच सूचना अंतराल समाप्त हो जाता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। विभाग/संगठन की वेबसाइट में नियम और विनियम, अधिकारियों के संपर्क विवरण और आम जनता/ग्राहकों के लिए उपयोगी अन्य सभी जानकारी होनी चाहिए।

(च) जवाबदेही: जवाबदेही के अभाव में दंडात्मक कार्रवाई का भय नहीं होता है। प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही और सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ एक प्रणाली न केवल सुचारू कामकाज के लिए बल्कि बढ़ी हुई पारदर्शिता, दक्षता और मामले में प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

(छ) नियंत्रण और पर्यवेक्षण: नियमित निरीक्षण, औचक निरीक्षण, लेखापरीक्षा और समीक्षाएं गलत और भ्रष्ट व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं। भ्रष्टाचार की संभावना वाले बिंदुओं और क्षेत्रों की एक सूची जांच के आयोजन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य को सुगम बनाएगी। सतर्कता और आंतरिक लेखा परीक्षा के बीच एक संरचित बातचीत बेहतर निगरानी को सक्षम करेगी और संभावित समस्या क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेगी।

(ज) कदाचारों का शीघ्र पता लगाना: निवारक सतर्कता से कदाचारों का शीघ्र पता लगने से हानि की क्षतिपूर्ति करना संभव हो सकता है। साथ ही आगे के नुकसान को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है।

(झ) समयबद्ध और प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई: कदाचार की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही को कम समय में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। कदाचार होने पर मिलने वाले दंड से दूसरों को ऐसा कदाचार करने से रोकता है। ऐसी कार्यवाही में देरी और अक्षमता दूसरों को इस विश्वास के तहत कदाचार करने का जोखिम उठाने के लिए और प्रोत्साहित करती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा।

(ञ) आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना: आवास, वाहन, उपयोगिता इत्यादि जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का न होना भी भ्रष्टाचार को प्रेरित करता है।

(ट) प्रशिक्षण और जागरूकता: सभी स्तरों पर और सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और संवेदीकरण महत्वपूर्ण है। सरकारी अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, आचार संहिता, नियमों और विनियमों से अवगत कराया जाना चाहिए। कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण है। इसी तरह, गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं से परिचित होने से जागरूकता में वृद्धि होगी और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होने वाली प्रक्रियात्मक उल्लंघनों / अनजाने त्रुटियों में कमी आएगी। ज्ञान साझा करने की पहल जैसे कि उन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित करना / प्रसारित करना जहां धोखाधड़ी / कदाचार का पता चला है और सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करना अधिक प्रभावी निवारक सतर्कता के लिए अन्य प्रभावी जागरूकता पैदा करने के तरीके हैं। सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास होना चाहिए।

(ठ) अनुकूल कार्य वातावरण: निवारक सतर्कता के लिए अनुकूल कार्य वातावरण में संवेदनशील पदों की सूची तैयार करना, संवेदनशील पदों के लिए रोटेशन नीति, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उन्हें संवेदनशील पदों / सार्वजनिक व्यवहार से दूर रखना शामिल हो सकता है। नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने वाले वातावरण का निर्माण करना भी आवश्यक होगा। भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाने के लिए व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ड) जनता के बीच जागरूकता: यदि जनता को उनके अधिकारों, नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक किया जाता है, तो वे सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुचित और मनमाने व्यवहार का विरोध करने में सक्षम होते हैं। जनता को उनकी देय सेवाओं की मांग करने और उनके अधिकारों से वंचित होने या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग होने पर आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संगठनों को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर आम जनता के लिए प्रासंगिक/उपयोगी सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।

(ढ.) नैतिक मूल्यों को विकसित करना: जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच नैतिक व्यवहार को विकसित करना निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। इस अवसर का उपयोग सभी सीवीओ/संगठनों द्वारा सही मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता के बारे में जनता के साथ-साथ अपने स्वयं के अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए।

BE VIGILANT EXPOSE CORRUPTION

- **OPEN YOUR EYES**
- **SPEAK OUT**
- **WE ARE LISTENING**

सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

ए० पी० पाण्डेय
(उप मुसताधि / यांत्रिक)

एक समय में ईमानदारी के अभाव में जूझता और बिखरता भारतीय समाज आज ईमानदारी से कई पायदान ऊपर सत्यनिष्ठा को स्थापित और स्थिरता प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है भारतीय नेतृत्व का जनमानस से यह उत्साहपूर्ण संकल्पित अपेक्षा आर्थिक उन्नति से जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि, ग्लोबलाइजेशन के कारण अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा व पारस्परिक सांस्कृतिक प्रभाव, डिजिटलाइजेशन से ह्यूमन हस्तक्षेप का संकुचित होना, सशक्त मीडिया का अविर्भाव व जनमानस का अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण संभव हो रहा है।

पूर्व की स्थिति में सुधार के बावजूद आज भी हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति कुछ विशेष अथवा कुछ अलग माना जाता है। जो वस्तुतः अपनो की अपेक्षाएं अथवा स्वयं की महत्वाकांक्षाओं से द्वन्द कर जीवन संघर्ष कर रहे हैं। आम भारतीय को "ईमानदारी" शब्द की समझ "सत्यनिष्ठा" संप्रत्यय की तुलना की अधिक है यद्यपि नैतिक आचरण की अवधारणा दोनों के मूल में निहित है परन्तु सत्यनिष्ठा ईमानदारी की तुलना में ज्यादा उच्च संप्रत्यय है एक ईमानदारी व्यक्ति का सत्यनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं है परन्तु एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति का नियमतः ईमानदार होना अनिवार्य शर्त है।

सत्यनिष्ठा एक मौलिक मानवीय मूल्य है इसकी धारणा लैटिन भाषा के शब्द "Integer" से ली गयी है जिसका अर्थ "संपूर्णता" है सत्यनिष्ठा में व्यक्ति के मन, वचन एवं कर्म में पूर्ण सुसंगति की अवस्था का बोध होता है व्यक्ति अपने विचार के अनुसार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप वचन देता है और तदनुसार ही लक्ष्यबेधन करता है सत्यनिष्ठ व्यक्ति का विचार व कार्य वस्तुनिष्ठ होना व नैतिकता की कसौटी पर खरा होना अनिवार्य है जिसके अभाव में आचरण सत्यनिष्ठ नहीं कहा जा सकता है। ब्रिटिश लेखक **सी.एस.लुइस** के अनुसार " जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी सही बातें करते रहना ही निष्ठा है "।

" सत्यनिष्ठ" दो शब्द सत्य व निष्ठा से मिल कर बना है अर्थात् सत्य आचरण के प्रति निष्ठावान होना । भारतीय समाज के लिए सत्य शब्द का संप्रत्यय काफी पुराना है सत्य शब्द एक्सलूट अथवा स्थैतिक नहीं है वरन् यह समय और स्थिति के आलोक में परिवर्तनशील है। भिन्न-भिन्न रोल का निर्वहन कर रहे व्यक्तियों के लिए सत्य का दायरा और अर्थ अलग-अलग होता है एवं एक ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग स्थितियों में सत्य का रूप भी परिवर्तित होता रहता है एक व्यक्ति से व्यवसायिक या प्रोफेशनल लाइफ में सम्बंधित दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत जीवन में भी अपने लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं /अपेक्षाओं को प्राप्त करने का जिम्मेदारी भी रहती है एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशनल दायित्वों का निर्वहन करता है तथा इसके साथ ही साथ वह व्यक्तिगत जीवन में भी अपने लक्ष्यों व मूल्यों को इस तरह निर्धारित करता है कि प्रोफेशनल लाइफ और निजी लाइफ में निर्धारित लक्ष्य एक दूसरे के पूरक हो और उसमें कोई अंतरविरोध या असंगति ना हो ऐसी अवस्था में व्यक्ति पूर्ण समग्रता के साथ समाज व देश की उन्नति में धनात्मक सहयोग कर सकता है तथा स्वयं के जीवन को पूर्ण संतुष्टि के साथ व्यतीत कर सकता है एक लोकप्रिय फिल्म " श्री इडिएट " की थीम शैक्षणिक व वोकेशनल सुसंगति का व्यक्तिगत जीवन में महत्व पर आधारित है।

इसके विपरीत असंगति होने की अवस्था में व्यक्ति अपने विश्वास के अनुरूप आचरण न करके समाज के लोकप्रिय मापदंडों के अनुसार अथवा उधार में लिये गये मानकों के अनुसार कार्य करने को विवश रहता है

परिणामतः ऐसे व्यक्ति का व्यवहार एक समान परिस्थिति में भी परिवर्तित होता रहता है और व्यक्ति के कार्य की परिणति अनिश्चित होती है कार्यफल अपने अनुसार न पाकर व्यक्ति स्वयं पर भरोसा खोकर जीवन संचालन का मौलिक मूल्यों की तलाश में बाह्य कारकों पर निर्भर हो जाता है और स्वयं का प्रतिबिम्ब देखने वास्ते दूसरों के दर्पण पर निर्भरता की अवस्था अनिश्चय और असुरक्षा की स्थिति पैदा करती है व्यक्तिगत, व्यवसायिक एवं सामाजिक स्तर पर अनिश्चितता की यह अवस्था भौतिक व अध्यात्मिक सम्पन्नता की स्थायी अवस्था को प्राप्त करने व्यवधान करती है अतः व्यक्ति की आत्मविश्वास फलतः आत्मनिर्भरता बाधित होती है जिससे समाज और देश समुचित संसाधन रहते हुये भी अपने विकास हेतु पराश्रित रहता है।

देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों का यह कर्तव्य एवं संकल्प है कि जनप्रतिनिधि नैतिक गरिमा में सत्यनिष्ठा आचरण करते हुए देश हित में उच्च उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाये और इसे जनमानस द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर निर्धारित उच्च उद्देश्यों हृदयगम किया जाये तथा लोकसेवक सत्यनिष्ठापूर्वक आचरण करते उपरोक्त का क्रियान्वयन कर इनका लाभ वांछितजन तक पहुंचाये जिससे सामान्य लोगो का तंत्र पर भरोसा बढ़ेगा तथा जनता के पास सत्यनिष्ठा को एक व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत वाले लोकसेवकों/जनसेवकों/जनप्रतिनिधियों का एक आदर्श होगा और जनमानस में सत्यनिष्ठा को आत्मसात और हृदयगम्य करने की प्रवृत्ति से उद्वेलित होगा और प्रत्येक निवासी **महात्मा गांधी** द्वारा उद्धृत " निर्णय से सबसे निरीह एवं गरीब तबके के जीवन में धनात्मक बदलाव" की सोच को संज्ञान में लेकर ही कोई कार्य सम्पादित करेगा और जनमानस स्वायत्त हो स्वयं एवं तंत्र पर निर्भर हो देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में आत्मनिर्भर व स्वावलंबी होने के लिये सभी आवश्यक संसाधन जैसे-मानव संसाधन, जैविक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन-जमीन/जल/खनिज इत्यादि देश में ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है एवं देश को अग्रणी देशों की सूची में शामिल होने के लिये इन संसाधनों का समुचित दोहन कर अर्जित अधिकतम लाभार्जन जनमानस हितार्थ उपयोग सुनिश्चित करना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु नीति-निर्माण, नियमो, विनियमों एवं इनके शतप्रतिशत क्रियान्वयन और उत्पन्न लाभ का उचित वितरण हेतु एक शुचितायुक्त तंत्र होना एवं समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक, व वित्तीय असुरक्षा की भावना को दूर करने हेतु तथा देशवासियों में देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत करने हेतु देश निर्माण के मौलिक अवयव अर्थात् निवासियों का सत्यनिष्ठा होना प्राथमिक शर्त है।

सत्य निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक हैं व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिये व्यक्ति का स्वयं पर एवं सामाजिक सिद्धांतों पर विश्वास होना अनिवार्य है तथा व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता की पगडंडियों से मिलकर ही राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के एक्सप्रेस-वे का निर्माण होता है जिस पर देश की विकास का वाहन तेज गति से चलाने के लिए रास्ते को गढ़े अर्थात् अप्रत्याशित विचलन रहित होना तथा विकास नीति में सहायक अन्य वाहनों द्वारा नियमों के आयाम में रहकर नैतिक सिद्धांतों के तहत दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिससे देश विकास वाहन अन्य वाहनों पर एवं देश की रास्ते का निर्माण करने वाली मूल अवयव "पगडंडियों" (अर्थात् व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता) पर पूर्णतः भरोसा कर लक्ष्य की ओर त्रिवेग से अग्रसर हो सके और देश आत्मनिर्भर होकर 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना चरितार्थ करते हुये वैश्वीकरण की धारा का अनुसरण करते हुये संसार के प्रत्येक देश के विकास में सहायक सिद्ध हो सके।

उपरोक्त संदर्भ में रेलवे तंत्र भी देश के सर्वांगीण विकास में मुख्य सहायक वाहनों की श्रेणी में आता है अतः रेलवे पर नियमों एवं निर्देशों के तहत सत्यनिष्ठा के साथ आचरण करते हुए सतत विकास से देश-विकास वाहन

में उपयोग होने वाले संसाधन रूपी ईंधन खपत को घटाना है। रेलवे नीति-निर्धारक एवं क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आचरण रेलवे की छवि को व्यक्त करता है अतः इनके द्वारा नैतिक नियमों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित होकर एक नैतिक कार्य-संस्कृति को नियमित कार्यशैली में आत्मसात करने की सतत क्रिया करते रहना है पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन रेगुलर प्रिवेन्टिव/प्युनिटीव चेकिंग तथा सतर्कता अभियान के माध्यम से इसी जागरूकता को फैलाने व शुचिता को कार्य-संस्कृति में स्थापित करने की प्रक्रिया में प्रयासरत है जिससे कर्मचारी बिना भय, संकोच और बिना आश्रय के स्वतंत्र रूप से सत्यनिष्ठ निर्णय ले पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकें एवं देश के अन्य विभागों व जनमानस के लिए एक मिसाल प्रस्तुत कर सकें जिससे सत्याचरण से विचलित लोगों को सत्यनिष्ठा की मौलिक धारा में जोड़ कर देश को सुदृढ़ किया जा सके।

भारतीय संविधान के द्वारा सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रता व समानता के वृहद सिद्धांत को व्यावहारिकता में साकार करके समावेशी समाज की स्थापना कर देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर करने के लिए जनमानस, लोकसेवकों व जनसेवकों का सत्यनिष्ठ होना अनिवार्य है इससे समाज के लोगों का स्वयं पर, परस्पर, तंत्र व समाज पर भरोसा उत्पन्न होगा परिणामस्वरूप सामाजिक व व्यक्तिगत अंतरविरोधों से रहित स्वावलंबी व आत्मनिर्भर देश के अर्विभाव का पथ प्रशस्त होगा।

“मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। अतः सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए।”

‘Maharana Pratap’

कंक्रीट का टिकाऊपन

भारत भूषण
(उपमुसताधि/इंजी०)

1.00 प्रस्तावना:- कंक्रीट की गुणवत्ता से संबंधित ताकत और स्थायित्व (टिकाऊपन) दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। उच्च शक्ति वाले कंक्रीट का मतलब बेहतर स्थायित्व प्रदर्शन वाला कंक्रीट नहीं है साथ ही, एक बेहतर स्थायित्व प्रदर्शन वाला कंक्रीट उच्च शक्ति कंक्रीट का होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में क्यूब स्ट्रेंथ केवल निर्माण के समय संरचना की मजबूती को प्रदर्शित करता है जबकि टिकाऊपन उसी मजबूती की लंबे समय तक रहने की गारंटी है। कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण कार्य के दौरान, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी उचित ध्यान देकर इन कंक्रीट संरचनाओं की आयु को बढ़ाया जा सकता है एवं भविष्य में एक अतिरिक्त बजट के भार को वहन करने से बचा जा सकता है।

2.00 परिभाषा:- IS 456: 2000 के अनुसार, स्थायी(टिकाऊ) कंक्रीट वह है जो अपने सेवा जीवन के दौरान, उसके वातावरण में प्रत्याशित जोखिम की स्थिति के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करता है। यह कंक्रीट की अपक्षय क्रिया, रासायनिक हमले, घर्षण, या किसी अन्य प्रक्रिया जो कंक्रीट के मूल रूप और गुणवत्ता को बदल सकती हो से बिगाड़ने का विरोध करने की क्षमता है।

3.00 स्थायित्व सम्बन्धी मुख्य कारक:- कंक्रीट का स्थायित्व मुख्य रूप से इसकी पारगम्यता से प्रभावित होता है जिसके कारण पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट और अन्य बाहरी हानिकारक पदार्थ कंक्रीट में प्रवेश कर जाते हैं। कंक्रीट के पारगम्य होने के कारण, एम्बेडेड स्टील (रेनिफोर्सिंग बार) में जंग तथा कंक्रीट में कार्बोनेशन का होना दो मुख्य कारण पाया गया है जिसके कारण टिकाऊपन में कमी आती है। कंक्रीट के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं: पर्यावरण (वर्षा, गर्मी, ठंड, आग); एम्बेडेड स्टील(रेनिफोर्सिंग बार) को कंक्रीट कवर; कंक्रीट के घटक निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता; सीमेंट की अधिकतम मात्रा और पानी/सीमेंट अनुपात; वर्कबिलिटी, पूर्ण कॉम्पेक्शन और प्रॉपर क्यूरिंग प्राप्त करने के लिए; और मेंबर का डिजाइन (आकृति और माप) हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए कोड में निम्न प्रावधान दिए गए हैं :

3.01 पर्यावरण (वर्षा/गर्मी/ठंड/आग):- IS 456-2000 कोड में पर्यावरण परिस्थितियों को पांच गंभीरता के स्तर क्रमशः अत्यंत सख्त(Extreme), सख्त(Severe), अतिसख्त (Very Severe), मॉडरेट(Moderate) एवं हल्के (Mild) में विभाजित किया गया है एवं पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर कंक्रीट कार्यो हेतु न्यूनतम सीमेंट मात्रा, अधिकतम जल-सीमेंट अनुपात और कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड को निर्धारित किया गया है (Table 5- IS 456-2000)।

Table 5 Minimum Cement Content, Maximum Water-Cement Ratio and Minimum Grade of Concrete for Different Exposures with Normal Wight Aggregates of 20mm Nominal Maximum Size
(Clauses 6.1.2, 8.2.4.1 and 9.1.2)

SL	Exposure	Plain Concrete			Reinforced Concrete		
		Minimum Cement Content Kg/m ²	Maximum Free Water- Cement Ratio	Minimum Grade of Concrete	Minimum Cement Content Kg/m ²	Maximum Free Water- Cement Ratio	Minimum Grade of Concrete
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i)	Mild	220	0.60	-	300	0.55	M20
ii)	Moderate	240	0.60	M15	300	0.50	M25
iii)	Severe	250	0.50	M20	320	0.45	M30
iv)	Very severe	260	0.45	M20	340	0.45	M35
v)	Extreme	280	0.40	M25	360	0.40	M40

3.02 एम्बेडेड स्टील को कवर:- एम्बेडेड स्टील(रेनिफोर्सिंग बार) इसके ऊपर कंक्रीट कवर द्वारा बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियों से सुरक्षित रहती है जो कि कंक्रीट के क्रैकिंग व्यवहार को मंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंक्रीट कवर की मोटाई जितनी अधिक होगी, विभिन्न जलवायु और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षा की डिग्री उतनी ही अधिक होगी। **जंग संरक्षण के लिए एम्बेडेड स्टील पर कवर की समरूपता भी बहुत महत्वपूर्ण है। कवर की समरूपता हेतु स्लैब, कॉलम, बीम आदि में कवर ब्लॉक बहुत मामूली लेकिन महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है जिसे निर्धारित दूरियों पर कंक्रीट कास्टिंग से पूर्व अवश्य ही लगाया जाना चाहिए।**

विभिन्न संरचनात्मक सदस्यों के लिए, उनके महत्व और जोखिम की डिग्री के आधार पर कवर की मोटाई अलग-अलग होनी चाहिए। IS -9077-1977 कोड के अनुसार, कंक्रीट कवर की मोटाई इस प्रकार होनी चाहिए: -

क) रेनिफोर्सिंग बार के प्रत्येक छोर पर - 25 मिमी से कम नहीं, न ही बार के व्यास के दोगुने से कम।

ख) एक कॉलम में एक अनुदैर्घ्य रेनिफोर्सिंग बार के लिए - 40 मिमी से कम नहीं और न ही रॉड या बार के व्यास से कम। 20 सेमी या उससे कम के न्यूनतम आयाम वाले स्तंभों के मामले में, जिनकी रेनिफोर्सिंग बार 13 मिमी से अधिक नहीं है, 25 मिमी के कवर का उपयोग किया जा सकता है।

ग) एक बीम में अनुदैर्घ्य रेनिफोर्सिंग बार के लिए - 25 मिमी से कम नहीं और न ही रॉड या बार के व्यास से कम।

घ) एक स्लैब में तन्यता, संपीडित, अपरूपण या अन्य रेनिफोर्सिंग बार के लिए - 13 मिमी से कम नहीं और न ही इस तरह के रेनिफोर्सिंग बार के व्यास से कम।

च) किसी अन्य रेनिफोर्सिंग बार के लिए - 13 मिमी से कम नहीं और न ही इस तरह के रेनिफोर्सिंग बार के व्यास से कम।

कंक्रीट सदस्यों की सतहों को खारे वातावरण, हानिकारक रसायनों, एसिड, वाष्प आदि के संपर्क में आने पर कवर की मोटाई में वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए। कवर मोटाई में वृद्धि ऊपर दिए गए आंकड़ों से 15 मिमी और 40 मिमी के बीच हो सकती है लेकिन कुल कवर मोटाई 50 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेनिफोर्सिंग कंक्रीट सदस्यों के लिए, पूरी तरह या समय-समय पर समुद्र के पानी या खारे पानी में डूबे रहने के लिए, कवर 50 मिमी होना चाहिए। 50 मिमी से अधिक कंक्रीट कवर नहीं प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि यह दरार की चौड़ाई को बढ़ा सकता है जिससे रेनिफोर्सिंग बार के लिए हानिकारक तत्वों को अधिक मात्रा में प्रवेश होने की संभावना बढ़ जाती है हालाँकि IS-456-2000 का टेबल 16 यह निर्धारित करता है कि अत्यधिक जोखिम की स्थिति में 75 मिमी से कम का कवर नहीं प्रदान किया जाना चाहिए।

**Table 16 Nominal Cover to Meet Durability Requirements
(Clause 26.4.2)**

Exposure	Nominal Concrete Cover in mm not Less Than
Mild	20
Moderate	30
Severe	45
Very Severe	50
Extreme	75
Notes	
1. For Main reinforcement up to 12 mm diameter bar for mild exposure the nominal cover may be reduced by 5mm	
2. Unless specified otherwise actual concrete cover should not deviate from the required nominal cover by +10mm	
3. For exposure condition 'severe' and 'very severe' reduction of 5mm may be made where concrete grade is M35 and above	

कंक्रीट में रखे जाने के समय रेनिफोर्सिंग बार के सतह की स्थिति, इसकी जंग दर को प्रभावित करती है। यदि रेनिफोर्सिंग बार खारेपन से दूषित है या बुरी तरह से खराब हो गया है, तो कंक्रीट में डालने के बाद रेनिफोर्सिंग बार पर संक्षारक कार्रवाई की दर और तेजी से बढ़ जाती है।

3.03 कंक्रीट के घटक निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता:- कंक्रीट के टिकाऊ होने के लिए, कंक्रीट मिक्स और उसके घटक निर्माण सामग्रियों का सावधानीपूर्वक चयन आवश्यक है, ताकि निर्माण सामग्रियों में हानिकारक तत्व जैसे क्लोराइड, सल्फेट एवं एक्टिव सिलिका की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक न हों। क्लोराइड और सल्फेट के लिए, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी का परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि एम्बेडेड रेनिफोर्सिंग बार का क्षरण होने की संभावना है। क्लोराइड की मात्रा जितनी अधिक होगी, या यदि बाद में गर्म/नम स्थितियों के संपर्क में आए, तो जंग का खतरा उतना ही अधिक होगा। कंक्रीट के सभी घटकों में क्लोराइड हो सकते हैं और इसके अलावा, बाहरी वातावरण से क्लोराइड द्वारा कंक्रीट दूषित हो सकता है। अधिकतम कुल अम्ल घुलनशील क्लोराइड की मात्रा आरसीसी कंक्रीट में 0.6 kg/cum होनी चाहिए। अधिकांश सीमेंट और कुछ एग्रीगेट में सल्फेट मौजूद होते हैं; अत्यधिक मात्रा में पानी में घुलनशील सल्फेट कंक्रीट के विस्तार और विघटन का कारण बन सकता है। इसे रोकने के लिए, कंक्रीट मिक्स में पानी में घुलनशील सल्फेट की मात्रा मिक्स में सीमेंट के द्रव्यमान से 4

प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश हानिकारक तत्वों की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सके तब ऐसे मामलों में एम्बेडेड स्टील(रेनिफोर्सिंग बार) पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग किया जाना चाहिए।

3.04 सीमेंट की अधिकतम मात्रा:- “अधिक सीमेंट अधिक टिकाऊ कंक्रीट नहीं बनाता है लेकिन कम सीमेंट कमजोर कंक्रीट बनाता है इसलिए सही सीमेंट सामग्री का उपयोग करें”। पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर कंक्रीट कार्यों हेतु न्यूनतम सीमेंट मात्रा को निर्धारित किया गया है (ऊपर वर्णित Table 5- IS 456-2000) एवं कंक्रीट में सीमेंट की अधिकतम निर्धारित मात्रा 450 kg/cum से अधिक का प्रयोग नहीं जाना चाहिए जिसमें फ्लाई ऐश और ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की मात्रा शामिल नहीं है जब तक डिजाइन में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया हो।

3.05 मुक्त जल-सीमेंट अनुपात:- उच्च जल-सीमेंट अनुपात- पारगम्यता- आयतन परिवर्तन- दरारें- विघटन- विफलता एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। टिकाऊ कंक्रीट के लिए कम जल-सीमेंट अनुपात(W/C) एक मूलभूत आवश्यकता है। **मुक्त जल-सीमेंट अनुपात कंक्रीट के स्थायित्व को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है एवं इसका मान हमेशा न्यूनतम होना चाहिए।** आवश्यकता से अधिक पानी कंक्रीट में कैपिलरी छिद्रों की संख्या को बढ़ाता है जिसके कारण कंक्रीट की स्ट्रेथ एवं स्थायित्व दोनों का ही हास होता है। कम पानी सीमेंट अनुपात कंक्रीट कार्बोनेशन के प्रति कम संवेदनशील है और इस प्रकार जंग से एम्बेडेड स्टील की रक्षा करता है।

3.06 वर्केबिलिटी, पूर्ण कॉम्पेक्शन और प्रॉपर क्यूरिंग:- वर्केबिलिटी ताजे कंक्रीट मिश्रण का मुख्य गुण है। सरल शब्दों में, वर्केबिलिटी का अर्थ है प्लेसमेंट में आसानी और काम करने योग्य कंक्रीट- कंक्रीट जिसे आसानी से किसी फॉर्मवर्क में रखा जा सकता है और बिना किसी अलगाव के आसानी से संकुचित किया जा सकता है। पूर्ण जलयोजन के लिए 0.23 जल-सीमेंट अनुपात (W/C) पर्याप्त है लेकिन ताजे कंक्रीट के ठोस कणों के बीच आंतरिक घर्षण को दूर करने और ताजे कंक्रीट को उचित प्रकार से मिक्स, प्लेसमेंट, ट्रांसपोर्ट और कॉम्पेक्शन हेतु अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि अपर्याप्त वर्केबिलिटी होने के कारण कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग और असमान शक्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। परन्तु, वर्केबिलिटी की आवश्यकता समाप्त होने के बाद, यह अतिरिक्त पानी अंततः कंक्रीट में कोशिका छिद्र छोड़कर वाष्पित हो जाता है एवं इन छिद्रों के परिणामस्वरूप कंक्रीट में उच्च पारगम्यता और ताकत कम हो जाती जोकि कंक्रीट के टिकाऊपन को कम कर देगा। अतः कंक्रीट में W/C अनुपात को कम रखते हुए कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार मिनरल एवं केमिकल एडमिक्सचर का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब ताजे कंक्रीट को फॉर्म वर्क में प्लेस किया जाता है, उसमें 20- 30%(आयतन में) के मध्य पाषित वायु उपस्थित होती है। कॉम्पेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से फंसी हुई वायु को बाहर निकाला जाता है जो ताजा रखे कंक्रीट के कुल कणों को एक साथ पैक करता है जिससे कंक्रीट का घनत्व को बढ़ाया जा सके। अगर यह पाषित वायु बाहर नहीं निकलती है, तो कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग हो जाती है जिससे कंक्रीट की शक्ति और स्थायित्व कम हो जाता है। प्रारंभ में पूरे कंक्रीट में जलयोजन प्रक्रिया के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होता है लेकिन समय के साथ पानी, वाष्पीकरण के कारण या जलयोजन प्रक्रिया के कारण, नष्ट हो जाता है जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 80% से कम हो जाती है एवं इस स्तर पर जलयोजन प्रक्रिया अंततः रुक जाती है जबकि जैसे-जैसे जलयोजन प्रक्रिया बढ़ती है कंक्रीट की पारगम्यता कम होती जाती है अतः क्यूरिंग सीमेंट के जलयोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु अत्यंत आवश्यक है जिससे कंक्रीट को उच्च शक्ति और अपारगम्यता प्राप्त होती है जो लंबी अवधि की ताकत या स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

3.07 मेंबर का डिजाइन (आकृति और माप):- एक्सपोज्ड संरचना के मेंबर के डिजाइन विवरण पर निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि

1. उनमें उचित जल निकासी प्रदान की गयी हो जिससे पानी का ठहराव नहीं होने पाए,
2. उनमें कम से कम दरारें होनी चाहिए जो पानी संचारित करेंगी,
3. उनकी उचित संघनन और क्यूरिंग की जा सके,
4. जब मेंबर के सेक्शन पतले होते हैं तब जलवायु और रासायनिक हमले के कारण कंक्रीट खराब होने का खतरा अधिक होता है,
5. मेंबर के कोनों और किनारों पर, आंशिक रूप से डूबे हुए मेंबर में, एक तरफ से हाइड्रोस्टैटिक दबाव के तहत कारण कंक्रीट खराब होने का खतरा अधिक होता है, एवं
6. स्टील को अतिरिक्त कवर प्रदान करके, कोनों को चैम्फर करके, गोलाकार क्रॉस सेक्शन का उपयोग करके एवं सतह की कोटिंग्स द्वारा संरचना का जीवन लंबा किया जा सकता है जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, या आक्रामक रसायनों के प्रवेश को रोकता या कम करता है।

4.00 स्थायित्व कंक्रीट का निर्माण:- उचित कंक्रीट कवर, पर्याप्त सीमेंट सामग्री, कम मुक्त पानी/सीमेंट अनुपात, कंक्रीट का पूर्ण कॉम्पेक्शन सुनिश्चित करके और पर्याप्त क्यूरिंग के द्वारा ठोस और कम पारगम्य कंक्रीट अर्थात् स्थायित्व कंक्रीट का निर्माण किया जा सकता है एवं इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित पर भी जोर दिया जाना चाहिए-

- i) ठेकेदारों को साइट प्रभारी के रूप में डिप्लोमा/डिग्री धारक योग्य सिविल इंजीनियरिंग नियुक्त करना चाहिए।
- ii) छोटे कार्यों के लिए स्वचालित वाटर डोजर के प्रावधान के साथ तौल बैचर का उपयोग अनिवार्य किया जाए और यदि स्थानीय बाजार में Ready Mixed Concrete उपलब्ध हो, तब उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। एडमिक्सचर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- iii) केवल स्टील शटरिंग की अनुमति होनी चाहिए।
- iv) फाइन एग्रीगेट के रूप में Grade IV जोन (IS 383-2016) बालू का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं फाइन एग्रीगेट का फाइनैस मॉड्युलस 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। सामान्यतः समुद्री बालू का आरसीसी कार्य में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- v) प्लेसिंग के दौरान, कंक्रीट को 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए।

5.00 कंक्रीट पर सुरक्षात्मक कोटिंग:- कंक्रीट के स्थायित्व (टिकाऊपन) को प्रभावी बनाये जाने हेतु मौजूदा समस्त आरसीसी संरचनाओं को नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार इन संरचनाओं में अनुरक्षण कार्यों को अवश्य कराया जाना चाहिए। कंक्रीट की उजागर सतहों पर सुरक्षात्मक सतह कोटिंग लगाकर आक्रामक वातावरण में एम्बेडेड स्टील को जंग से बचाया जा सकता है।

सन्दर्भ : (i) IS कोड 456-2000, 383-2016 एवं 9077-1979; (ii) कंक्रीट टेक्नोलॉजी (इरिसेन); एवं (iii) CE सर्कुलर 225(दक्षिण पूर्व रेलवे)।

Common Areas Of Concern In Commercial Contracts

J.P.Singh
(Dy.CVO/Traffic)

Railway's core competence is in running and maintaining the railway service i.e. passenger & freight services. Therefore it is not worthy & wise to utilize railway management's large amount of time and revenue in other jobs such as providing Parking Facilities, Cleaning & Sanitation services, Fooding and lodging services, etc to its end users. All these jobs could be contracted over so that Railway management need not divert its attention in these jobs. This way Railway Management could use its saved time and revenue in sharpening and improving its core competence.

Keeping the above into consideration Railway awards several commercial contracts at the Zonal and Divisional levels, but if procedures and precautions laid by the Railway Board to award these contracts are not monitored appropriately and adequately then it would become a grey area of corruption and rather than serving its purpose, it will cause leakage of rail revenue and wastage of railway management resources. Therefore major procedures and precautions which should be taken into consideration by the railway management while awarding the Commercial contracts are discussed as under:-

Fixation of Reserve Price

Reserve Price should be in accordance with the policy guidelines provided by the Railway Board.

Following factors must also be considered while fixing the reserve price (on case-to-case basis):

- (a) Actual License fees of previous/existing contract.
- (b) License fees of similar contract(s) on the station.
- (c) In absence of similar contracts at the same station, License fees of similar contract(s) at nearby stations
- (d) Actual sales assessment

The reserve price must be got vetted from associate Finance, and approved by the Competent Authority.

Preparation of Tender Document

For contracts where SBD (Standard Bid Document) is provided by the Railway Board, the same should be used.

If SBD is not available, tender document should be prepared – which must contain the following details:

- Detailed nature of service(s) to be provided
- Rights and obligations of the contractor/licensee
- Payment schedule for license fees
- Monitoring mechanism
- Penalty clause(s)
- Eligibility criteria (along with limitations, if any)
- Reserve Price

Details of user charges, if any, payable by the contractor/licensee in addition to the license fees (electricity charges and security deposit, land license fees, taxes, etc) must be mentioned explicitly.

The tender document must be approved by the Competent Authority.

Issue of NIT and Sale of Tender Documents

NIT (Notice Inviting Tender) should be approved by the Competent Authority, and should be –

- displayed at Notice Boards of all concerned Railway offices.
- published in prominent local and national newspapers
- uploaded on Railway website, as per the schedule (at least 30 days before the date for Opening of Tender)
- In case of Short Notice Tenders, concurrence of Finance and approval of Competent Authority must be taken
- NIT must contain the following details:
 - Eligibility criteria
 - Details for obtaining/downloading blank Tender Forms
 - Amount payable for such documents, if any
 - Place, Date and Time for Opening of Tender

Tender Document should be downloadable from the website, and should also be available on sale at the Railway office.

Administration should ensure that competition is not restricted due to unavailability of Tender documents.

Receiving and Opening of Tender

Proper arrangements should be made for receiving tenders.

Box kept for this purpose should be duly locked and sealed, and should be kept at a conspicuous location.

Tender Opening Committee – members from Executive and Finance.

TOC should show the lock and seal of the Box to the representatives of the tenderers present.

After taking out all the Tenders, an empty box should be shown to the representatives.

Duties and responsibilities of the TOC

- Initials (with date) on the envelope, front page of the tender, and on every page containing quoted rates and/or special tender conditions.
- Initials (with date) on every correction, overwriting, and omissions.
- Any ambiguities in the rates quoted in figures and in words should be clearly indicated.

Credential papers attached with the tender document should be clearly numbered on the tender cover page.

Tender Opening Register should be properly filled and signed. Initials of the representatives of the participating firms should be obtained, with full name and address.

Briefing Note

It shall be prepared in duplicate and must be checked and signed by an officer of the Executive branch.

The following points must be checked and verified in the Briefing Note:

- Administrative Approval for inviting the tender
- Approval of the Tender document by the Competent Authority
- Eligibility Criteria is properly mentioned
- Tender Number and Name of Contract/Work
- Copy of NIT, along with newspaper cuttings
- Original copy of MR/DD for all tender forms sold and/or received
- Date of opening of tender
- In case of short notice tenders, availability of finance concurrence
- Credentials of all tenderers
- Validity of Earnest Money
- Special conditions quoted by the tenderers, if any
- Comments on discrepancies in offers, if any
- Analysis of highest offer (H1) vis-à-vis the Reserve Price
- Comparative Rates of all tenderers
- Special features, if any

Tender Committee

Tender Committee (TC) shall be constituted as per the Schedule of Powers.

Tender Committee (Convener, Finance Member, and Third Member) should be properly nominated and approved by the Competent Authority.

TC should consider the tender without delay, and should finalize the recommendations within the validity of offers.

TC should properly examine the eligibility criteria mentioned in the tender document.

TC should ensure that no unscrupulous efforts have been made to meet the eligibility criteria.

TC should ensure that the credential certificates have been verified from the Issuing Authority.

TC should ensure that special conditions quoted by the tenderers, if any, do not lead to unintended benefits to the tenderer.

If there is any deviation from the standard procedures, it should be clearly mentioned in the TC Proceedings.

Accepting Authority

Tender Accepting Authority (TAA) should be decided as per the Schedule of Powers.

TAA has to ensure that:

- a) Full opportunity has been given to all prospective tenderers
- b) Response has been adequate

While considering TC Recommendations, the TAA must examine that:

- a) Recommendations of the TC are unanimous, or otherwise.
- b) Even in the case of unanimous recommendations, all aspects related to the tender have been examined or not.
- c) TAA must apply his/her mind independently. The acceptance, or otherwise, must be recorded in the body of TC Proceedings itself.
- d) In case of non-unanimous recommendations, TAA may accept either the single or the majority recommendation – however, detailed reasons must be recorded.

TAA must take decisions within a reasonable time, and unavoidable delays should be explained.

Contract Agreement

Letter of Acceptance (LOA) must be issued within the validity period of the offer.

Contract Agreement must be prepared without any delay after the issue of LOA.

It must be ensured that Performance Guarantee for the requisite amount, complete and correct in all respects, has been received.

Monitoring and Realization of License Fees

The official responsible for monitoring the execution of contract and realization of License Fees must be clearly defined.

It must be ensured that the contractor/licensee is not exploiting Railway resources for purposes other than those prescribed in the contract.

License Fees must be realized as per the prescribed schedule.

Due penal action must be taken for any delay .

Complaints from passengers/consumers, if any, must be considered seriously, and strict action must be ensured against the contractor/licensee.

Follow-up...

The process for awarding a fresh contract should be initiated at least six months before the expiry of the existing contract.

The contractor/licensee should not be permitted to operate after expiry of the contract, unless the contract has been extended/renewed by the Competent Authority.

“ भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई आसान नहीं है, और ना ये कभी आसान थी ना कभी होगी ”

‘Frank Serpico’

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) : सार्वजनिक खरीद का एक नया अध्याय

अजित सिंह
(उपमुख्यमंत्री/भंडार)

उत्पत्ति और परिचय :-

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की उत्पत्ति जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री को की गई सचिवों के दो समूहों की सिफारिशों के कारण हुई। उन्होंने 'डी जी एस एंड डी' में सुधार के अलावा सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों और सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केट स्थापित करने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 के अपने बजट भाषण में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच की स्थापना की घोषणा की गयी।

वाणिज्य मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और निकायों में सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी खरीद में क्रांति लाने के लिए GeM पोर्टल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। GeM पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम संचालित ई - मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। एक खुला मंच होने के नाते, GeM सरकार के साथ व्यापार करने की इच्छा रखने वाले वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं के लिए सुलभ /आसान मंच प्रदान करता है। सामान्य वित्त नियम के पैरा 149 द्वारा GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए अधिकृत किया गया है।

GeM पर पंजीकरण :-

GeM पर पंजीकरण के लिए रेलवे के खरीदारों, परेसिडेंटों और भुगतान करने वाले अधिकारियों के पास आधार संख्या होनी चाहिए साथ ही आधार अधिकारिक ई-मेल (abcd@gov.in) और मोबाइल नम्बर से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद नाम, अधिकारिक ई-मेल पता, पोस्टिंग का स्थान, अधिकारिक डाक पता आदि आवश्यक विवरण के साथ GeM पर पंजीकरण करना चाहिए।

पारदर्शिता :-

GeM पोर्टल विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान प्रसंस्करण में मानव इंटरफेस को काफी हद तक समाप्त कर देता है। एक खुला मंच होने के नाते, सरकार के साथ व्यापार करने की इच्छा रखने वाले वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं के लिए GeM पर पंजीकरण कर व्यापार करना आसान है। हर कदम पर, खरीदार, उसके संगठन के प्रमुख, भुगतान करने वाले अधिकारियों और विक्रेताओं दोनों को एसएमएस और ई-मेल से सूचनाएं भेजी जाती हैं। GeM पर ऑनलाइन, कैशलेस और समयबद्ध भुगतान पीएफएमएस और स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन सिस्टम (एसबीएमओपीएस) के साथ एकीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है; रेलवे, रक्षा, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों की भुगतान प्रणालियों के लिए वेब-सेवा एकीकरण का विस्तार किया जा रहा है

GeM के माध्यम से खरीद के प्रमुख बिंदु :-

- GeM पर उपलब्ध सामानों और सेवाओं को GeM से खरीद अनिवार्य है।
- GeM पर उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं को GeM द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- खरीद प्राधिकारी दरों के औचित्य को प्रमाणित करेगा।
- GeM पोर्टल पर ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया निम्नवत है -
 1. **25000 रूपये तक** :- GeM पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता से जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और आपूर्ति अवधि को पूरा करें।
 2. **25000 से 5 लाख तक**:- GeM पर उपलब्ध तीन आपूर्तिकर्ता में से कम कीमत वाले आपूर्तिकर्ता से जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और आपूर्ति अवधि को पूरा करें। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी द्वारा भी खरीदारी की जा सकती है।
 3. **5 लाख से ऊपर** :- GeM पर ऑनलाइन बोली या रिवर्स नीलामी का उपयोग करके कम कीमत वाले आपूर्तिकर्ता से जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और आपूर्ति अवधि को पूरा करें।
 4. ऑनलाइन ई - बिडिंग /रिवर्स नीलामी पोर्टल पर पंजीकृत सभी मौजूदा विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगी।
 5. सरकारी खरीददार GeM पर उपलब्ध बिज़नेस एनालिटिक्स (BA) टूल का उपयोग करके आर्डर देने से पहले कीमत की पुनः तर्कसंगतता का पता लगा सकते हैं , जिसमें GeM पर अंतिम खरीद मूल्य ,विभाग का अपना अंतिम खरीद मूल्य आदि शामिल है।
 6. वर्तमान में GeM पोर्टल पर लगभग सभी तरह के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध हैं (जैसे -वहीकल हायरिंग & सर्विस , ट्रांसपोर्टेशन, आईटी प्रोफेशनल इत्यादी)
- ऐसे गुड्स या सर्विस जो GeM पर उपलब्ध नहीं हैं उन्हें भी कस्टम बिड के माध्यम से GeM पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- खरीददार द्वारा तकनीकी रूप से अयोग्य करार किये गये बिडर GeM पोर्टल के माध्यम से 48 घंटों के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- GeM पोर्टल पर लगातार सार्थक सुधार किये जा रहे हैं।

खरीद की निपुणता :-

GeM पर सीधी खरीद मिनटों में की जा सकती है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड की जा सकती है और ऑनलाइन टूल के साथ कीमत उचितता का आकलन भी किया जा सकता है। उच्च मूल्य की खरीद के लिए, सरकारी क्षेत्र के भीतर प्रचलित ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की तुलना में GeM पर बोली/रिवर्स नीलामी (RA) सुविधा सबसे पारदर्शी और कुशल है। बोली/रिवर्स नीलामी(RA) बनाने के लिए, खरीददार को अपने स्वयं के तकनीकी विनिर्देश बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें GeM पर मानकीकृत किया गया है। बोली/रिवर्स नीलामी कुछ ही मिनटों में तैयार की जा सकती है और कम से कम 7 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जा सकता है। सभी पात्र आपूर्तिकर्ताओं को ई-मेल और एस.एम.एस.के माध्यम से बोली/रिवर्स नीलामी अधिसूचित किया जाता है , नए आपूर्तिकर्ताओं को भी GeM पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद सूचित किया जाता है और सिस्टम द्वारा 'योग्य' के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए GeM बोली/रिवर्स नीलामी में प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता , गति और दक्षता

सुनिश्चित करता है और उचित मूल्य पर खरीद को सुनिश्चित करता है। प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टलों पर बाजार मूल्य के साथ ऑनलाइन तुलना के माध्यम से दरों की तर्कसंगतता की भी पुष्टि की जा सकती है।

हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ वांछित स्टेशनों की साफ-सफाई के अनुबंध GeM पोर्टल के माध्यम से जारी किये गए, जिसमें यह पाया गया कि पूर्व में किये गए अनुबंध की अपेक्षा लगभग 50% से ज्यादा की वित्तीय बचत हुई जो की काफी सराहनीय है।

सुरक्षित और सुदृढ़ :-

GeM पूरी तरह से सुरक्षित प्लेटफॉर्म है और GeM पर सभी दस्तावेज खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा विभिन्न चरणों में ई-हस्ताक्षरित किए जाते हैं। GeM खरीद के मूल्य के बावजूद सभी विक्रेताओं का 100% ऑनलाइन सत्यापन करता है। खरीददार द्वारा किये गये सभी लेनदेन नेट बैंकिंग सुविधा के साथ है। खरीददार को प्रत्येक लेनदेन (वित्तीय सारणीकरण, अनुबंध इत्यादी) के लिए एक ओ टी पी द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

“सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें फल आते हुए नजर आते हैं, उसका अन्त नहीं होता।

‘Mahatma Gandhi’

The Litmus test of a good decision

Sagar
(Dy. CVO/Electrical)

Decisions are tricky. And sometimes good leaders may also take bad decisions. Since probity and integrity are part of almost all good decisions, it is required from a vigilance standpoint too. Also, when the impact of the decision is far and wide like we have in Railways, it becomes even more important. Hasty, irresponsible and impulsive decisions are always frowned upon and may pose a problem when viewed from a vigilance angle.

But one may say that whether a decision is good or bad is subjective and depends on the vantage point. So, if we want to generalize the characteristics of a good decision, can we come up with a litmus test of a good decision? I mean a simple test to check whether the decision that we are going to make-Is that good or bad? Since the criteria for ‘goodness’ of any decision is clear in the case of public servants – It should serve the common good. Our decisions should not give undue favor to any particular person or group of persons while going against the interest of the organization and the interest of the nation. Building upon that premise, the litmus test of a good decision involves two simple questions –

1. *If I make this decision every time (or every day), what impact will it have?*
2. *If everyone makes this same decision, what impact will it have?*

And there you have it – The litmus test. But before we jump into some examples, let's discuss how (or why) does it work?

See the problem with bad decisions is that they are made with a mind of isolation. We think of the decision as a one-time event and having a one-time impact. Not only this is a case of leadership myopia but it also misses the important concept of systems. This is the same classic example of six blind men touching different parts of an elephant thinking of it as something else rather than an elephant. From a systems perspective, most of the decisions we make have a far-reaching consequence. What this litmus test does is magnify that impact over time and space so that you can see its repercussions.

The first question-*If I make this decision every time (or every day), what impact will it have?* Helps to view your decision in the light of a long-term horizon. Whether we accept it or not, the law of compounding works and every single decision we take matters. All the decisions taken over a long period get compounded to show a substantial impact on the organization or nation as a whole. Also, a wrong decision today will breed more wrong decisions in the coming future. Similarly, the second question- *If everyone makes this same decision, what impact will it have?* helps to view the decision on a much larger scale. This question also makes us realize whether we want others to also make the same decisions as ours or not!

Now it's time for some examples.

If paying some small insignificant bribe can get your job done quickly, should you pay the bribe?

Let's pass it through the test – What if you start paying bribe every time, every day? A one-time bribe may be an insignificant amount for you, but if you compound the amount that you start paying every day, it will become significant after a point in time. Also, a bribing attitude will percolate in other areas and you may also try to do that in many other places. Financially, that doesn't seem good for you – because you are supposed to receive all those services free of cost. Now the second test - What if everyone starts bribing? Obviously, only those who can afford will be able to do that. But what will happen to those who can't afford it? They will simply find themselves getting denied of the service – Isn't it? That is not acceptable socially. Clearly, this decision fails the litmus test.

Now what if you decide not to pay the bribe? As per the first test – What if you choose to refuse paying bribe everyday every time? It may happen that sometimes you will have to suffer a little but over time, the freedom and confidence it will give you is unparalleled. Financially too, this decision is beneficial. Now coming on to the second test – What if everyone refuses to pay bribe? Now this is where the decision stands out. If everyone refuses to pay the bribe, the person demanding will have no option but to do his duty as prescribed. Also, the disadvantaged sections of society will also find an equal place in getting the service. It will be a great social benefit. Clearly this decision passes the litmus test.

I hope now the test is clear and you are ready to make some “good” decisions! That being said, it is also an oversimplified model and may require some more introspection in some cases. But this test is a good start and the point is to watch your decision, not an isolated one-time event but as part of a system having far-reaching consequences.

“जिसने अन्नयायपूर्वक धन इक्कट्टा किया है और अकड कर सदा सर को उठाये रखा है, ऐसे ब्यक्ति से सर्वदा दूर रहो । ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं, इन्हे शांति कहीं नहीं मिलती ”

‘Chankya’

Malpractices/Frauds in Mass Contact Areas

**Amit Kumar Srivastava
(SVO/Traffic)**

Various malpractices/Frauds were detected in Mass Contact Areas that is in Booking Offices, Reservation Office, Ticket Checking on Trains & Stations, Passenger services on Trains and Stations, Parcel Offices, Catering, OBHS, AC coach Attendants. Some common irregularities are given below-

Booking Offices

Most common areas of check - Non-Issue of Tickets, Special Cancellation of Tickets, Tallying with the UTS statement to check fraudulent Refunds, Collection of tickets and cross verification with Random number, Alteration & Defacing, Lost Ticket rolls etc.

Non-Issue of Tickets

It is done in certain circumstances where the operator identifies a mistake in the ticket before it is issued to the passenger. Also issued in case of some printing errors on the ticket on account of printer problems. Non- issued ticket is generated on the very next ticket. Wrongly printed ticket and non-issued ticket will have ticket-numbers in sequence. The details of the wrong, non-issued, next correct ticket should be entered in the NI register along with reason. The non-issued ticket along with original ticket and statement to be submitted to Traffic Accounts office along with Daily cash remittance.

Special Cancellation of Tickets

It is done in cases where the mistake in the ticket is detected after a certain time of issue of the ticket to the passenger. Original ticket and special cancelled ticket numbers will not be in sequence. Special cancellation is done only on Supervisory ID. The details of the wrong, special-cancelled, next correct ticket should be entered in the Special Cancellation register along with reason. The special cancelled ticket along with original ticket and statement to be submitted to Traffic Accounts office along with Daily cash remittance.

Case study (Booking Office)

- During the course of a Preventive Check being conducted at a station, one booking clerk was found in possession of 4 UTS tickets generated from A station to B station. Apart from this, 2 blank tickets and some UTS ticket size carbon papers were also found in his possession. He was generating tickets for short distance destinations, but taking out the tickets without printing. These blank tickets were kept behind the tickets issued for long distance journey with carbon paper, thus generating duplicate long distance tickets which were originally accounted for short distance in UTS. From the data base report, it was found that duplicate tickets were accounted for short

distance in the UTS system. These duplicate tickets were issued to the passengers there by pocketing the difference of fare.

Reservation Office

Most common areas of check -Touts, Pre-bought tickets, Improper travel authority, Group booking, Special cancellation, Tatkal requisition forms without proper ID & signature etc.

Case study (Reservation Office)

- Preventive Check was conducted at Reservation Office on tatkal opening time. On-duty Reservation clerk was subjected to cash check. ₹4715 short was produced in Railway cash. One ticket worth ₹1465/- was found with him with incomplete reservation form. As per the version of Reservation Supervisor, one ticket worth ₹4300 was generated for cash transaction, but customer produced ATM card, hence gone to get cash. For incomplete forms, he stated in order to clear the rush he didn't write in the forms completely. Further till completion of check (13:00 hrs), no one turned up for collection of ticket. The employee was taken up under major penalty charge sheet and transferred to post not involving any cash transactions.
- During the check a passenger has produced E-Ticket for 3 persons confirmed in 3 AC. When the same was checked with the Chart it was shown as 'Z'(concession tickets) instead of 'E'(E-tickets). Free EFT was issued to the passengers and Fake E-Ticket was seized. Passengers have mentioned that they gave full fare as demanded by the agent and they were issued with a E-Ticket . Booking details were taken from Database & found that ticket was booked against concession . The AGENT probably with the connivance of ECRC booking the Tickets on a concession and later printing the details on the FAKE E – Ticket format and issuing to the passengers duly collecting full amount.

Ticket Checking In Trains and At Stations

Most common areas of check -Carrying of unauthorized persons on vacant berths, not turned up passengers showing as turned up, Improper Checking of travel authority, TTE working only in one section and by few trains, Issuing EFTs on Platforms. Not issuing EFTs for the amount collected, Remittance of cash at Originating Station, Showing movement everyday claiming TA but issuing EFTs only at Head Quarters, Not remitting the cash immediately at the end of the beat , Short remittance of Railway Cash,

Areas of Check in Pantry Cars, Power Cars, AC Coaches and working of OBHS

Most common areas of check -Un-authorised carrying of passengers, Non-declaration of private cash, Deploying more number of pantry car staff/vendors than permitted, Not having

proper Travel authority/ID card/Medical Certificates/Police Verification certificates, On board staff carrying un-authorised parcels.

Parcel Offices

Most common areas of check - 20% weighment of Leased SLRs daily, Wrong weighment, wrong recording of dimensions, Mis-declaration or Wrong declaration (Booked as News papers/Magazines, actual consignment was live fish) Reckoning of free time for Un-loading of Luggage/Parcels, Sunday Stock register.



**KAHIN YEH SUITCASE
AAPKE LIYE COFFIN NA BAN JAYE**

पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के बाद मिलने वाले प्रमुख लाभ

**जय प्रकाश
(वसताधि/लेखा)**

रेल सेवकों को सेवा निवृत्ति/मृत्यु के बाद निम्न प्रमुख लाभ रेल प्रशासन द्वारा दिये जाते हैं:-

1- पी.एफ.सेटलमेंट 2-लीव सेलेरी 3- जी.आई.एस. 4- ग्रेच्यूटी 5- पेंशन 6- कम्प्यूटेशन

पी.एफ. सेटलमेंट:- इसके अंतर्गत कर्मचारी के पी.एफ. खाते में जमा धन तथा उस पर मिलने वाली ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है।

लीव सेलेरी:- इसके अंतर्गत कर्मचारी एल.ए.पी. खाते में, सेवानिवृत्ति के तिथि में अवशेष अवकाश के एवज में वेतन का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाता है -

- (i) अधिकतम सीमा 300 दिन का है।
- (ii) यदि किसी कर्मचारी के LAP खाते में सेवानिवृत्ति के दिन 260 दिन LAP अवशेष है तो उसे 260 दिन का LAP तथा 40 दिन का LHAP (यदि देय हो) के नकदीकरण का भुगतान किया जाता है।
- (iii) एक दिन के वेतन की गणना के लिए कर्मचारी का अन्तिम मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता को जोड़ा जाता है।

जी.आई.एस.:- जी.आई.एस. का भुगतान Department of Expenditure & Finance द्वारा upload चार्ट, जो प्रत्येक त्रैमासिक पर जारी होता है, के अनुसार गणना कर की जाती है। जी.आई.एस. के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान ग्रुप-डी. के मामले में नियमित सेवा होने पर ही कटता है, जैसे- Casual Labour/Substitute के दशा में Date of screening से नियमित माना जाता है। जी.आई.एस. के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान जनवरी माह से शुरू होता है अर्थात् यदि कोई कर्मचारी फरवरी से दिसम्बर के बीच ज्याइन करता है तो उसकी कटौती अगले वर्ष के जनवरी से शुरू होगी।

ग्रेच्यूटी:-

सामान्य सेवानिवृत्ति के दशा में:

- (i) इसका भुगतान 5 वर्ष से कम अर्हक सेवा वाले रेल कर्मचारियों को नहीं किया जाता है।
- (ii) 5th पे कमीशन के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 4.5 लाख थी।
6th पे कमीशन के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख थी।
7th पे कमीशन के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है।
- (iii) कर्मचारी को उसके अधिकतम 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर 16½ माह का वेतन ग्रेच्यूटी के रूप में किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 22 वर्ष है, तो उसे 11 माह का वेतन ग्रेच्यूटी के रूप में दिया जाता है।

- (iv) वेतन के रूप में गणना के लिए, कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता को लिया जाता है।
- (v) यदि कोई कर्मचारी डीएआर जाँच/न्यायायिक केस में है तो उसे प्रोविजनल पेंशन दिया जाता है, ऐसी दशा में उसे ग्रेच्युटी देय नहीं होता है।

सेवाकाल के दौरान मृत्यु के दशा में:

अर्हक रेल सेवा	ग्रेच्युटी का दर
एक वर्ष से कम	2 माह के वेतन के बराबर (BP+DA)
एक वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	6 माह के वेतन के बराबर (BP+DA)
5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम	12 माह के वेतन के बराबर (BP+DA)
11 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम	20 माह के वेतन के बराबर (BP+DA)
20 वर्ष या उससे अधिक	जितने वर्ष की अर्हक सेवा होगी उतने माह का वेतन लेकिन अधिकतम 20 लाख

- (vi) यदि DA 50% increase कर जाता है तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ जायेगा।

पेंशन:-पेंशन का भुगतान पेंशन नियम 1993 के अनुसार तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाता है :-

- (1) पेंशन पाने की न्यूनतम अर्हता के अंतर्गत 10 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए।
- (2) फेमिली पेंशन, कर्मचारी के मेडिकली फीट (ज्वाइनिंग से पूर्व) घोषित होते ही ड्यू हो जाती है, भले ही कर्मचारी ज्वाइनिंग से पूर्व मृत्यु को प्राप्त कर गये हों।
- (3) यदि कर्मचारी, ज्वाइनिंग के पहले कराये जाने वाले मेडिकल परीक्षण में अनफिट होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में कोई फेमिली पेंशन देय नहीं होती है।
- (4) यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु होती है तो मृत्यु तिथि से 10 वर्ष तक Enhanced Family Pension उसकी विधवा/उससे बड़ा लड़का/लड़की जो 25 वर्ष से कम आयु के हो तथा unmarried/unemployed हो, को देय होता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु 07 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद होती है तो Enhanced Family Pension देय होगा, नहीं तो नार्मल फेमिली पेंशन मिलेगा। (01.01.2006 से)

पेंशन की गणना:-

- (1) 01.01.06 से फुल पेंशन 33 वर्ष की अर्हक सेवा के जगह पर 20 वर्ष कर दी गयी है।

- (2) कर्मचारी के अन्तिम वेतन (मूल वेतन) या 10 माह का औसत वेतन, जो अधिक हो उसका 50% देय होता है। जैसे:- किसी कर्मचारी 'A' का अन्तिम वेतन 83300/- है तथा अंतिम 10 माह का औसत वेतन 82900/- है तो पेंशन की गणना 83300/- पर की जायेगी।
- (3) नार्मल फेमिली पेंशन सिर्फ अन्तिम वेतन का 30% देय होता है, अन्तिम 10 माह के औसत वेतन पर नहीं।
- (4) Enhance फेमिली पेंशन पेंशनर को मिलने वाले पेंशन के समान दिया जाता है। अर्थात् किसी पेंशनर का पेंशन 41650/- बनता है तो Enhance फेमिली पेंशन भी 41650/- देय होगा लेकिन शर्तें (01.01.06 से लागू) निम्न होंगी:-
 - (i) यदि पेंशनर की मृत्यु DOR के बाद होती है, तो Enhance फेमिली पेंशन DOR से 07 वर्ष तक ही मिलेगी।
 - (ii) यदि कर्मचारी की मृत्यु DOR से पूर्व होता है तो Enhance फेमिली पेंशन DOD से 10 वर्ष तक मिलेगी।

कम्यूटेशन:-

- (1) यह वैकल्पिक है।
- (2) यह देय पेंशन का 40% अधिकतम कम्यूट किया जा सकता है। (01.01.06 से लागू)
उदाहरण के लिए:-
यदि देय पेंशन 41650/- है
तो 41650 का 40% = 16660/- कम्यूट किया जा सकता है तथा कम्यूटेशन के बाद का देय पेंशन 24990/- (41650-16660 = 24990) होगा।

कम्यूटेशन की गणना:-

- (1) यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर सेवानिवृत्त होता है तो उसे मिलने वाली कम्यूटेशन की राशि की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:-

माना कम्यूट राशि = 16660/- है, (41650 का 40%)

कम्यूटेशन की कुल राशि = 16660 X 98.328

= 1638144.48 होगा।

नोट: कर्मचारी की आयु 61 वर्ष मानकर, कम्यूटेशन चार्ट के अनुसार कम्यूटेशन गणना की जाती है। 61 वें वर्ष पर कम्यूटेशन वैल्यू 8.194 है।

(* एक माह में एक रुपये की वैल्यू 15 वर्ष बाद 8.194 होगी, यह माना जाता है।)

(8.194 X 12 = 98.328)

- (2) कम्यूटेशन % age घट-बढ़ सकता है।
- (3) 40% कम्यूट करने पर पेंशन रूपया 24990/- उपरोक्त गणना के अनुसार मिलेगा जो 15 वर्ष तक यही राशि मिलेगी, लेकिन DR पूरी पेंशन की राशि रूपया 41650/- पर मिलेगा।

- (4) कर्मचारी के मृत्यु की दशा में फेमिली को कम्प्यूटेशन नहीं दिया जाता है। यह सिर्फ व सिर्फ नियमित सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी का ही देय है।
- (5) यदि कर्मचारी (पेंशनर) की मृत्यु उसकी DOR के 15 वर्ष के अन्दर हो जाती है तो कम्प्यूटेशन की कटौती बन्द हो जायेगी तथा Spouse को पूरा पेंशन (पेंशनर की 67 वर्ष की आयु पूरा होने तक) मिलेगा। उसके बाद नार्मल फेमिली पेंशन मिलेगी।
- (6) Enhance फेमिली पेंशन से कम्प्यूटेशन की कटौती नहीं होती है तथा Enhance फेमिली पेंशन 67 वर्ष की आयु पूरा (कर्मचारी के) करने तक मिलेगा।

Additional Pension:- (01.01.06 से लागू)

यह पेंशन तथा फेमिली पेंशन दोनो पर लागू है, निम्नानुसार देय होता है:-

क्र०सं०	पेंशनर की उम्र (फेमिली पेंशन)	अतिरिक्त पेंशन
1.	80 वर्ष पूरा होने पर लेकिन 85 वर्ष से कम	20% of Basic Pension
2.	85 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम	30% of Basic Pension
3.	90 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 95 वर्ष से कम	40% of Basic Pension
4.	95 वर्ष या इससे अधिक लेकिन 100 वर्ष से कम	50% of Basic Pension
5.	100 वर्ष या इससे अधिक	100% of Basic Pension

Example 1. Basic pension – 41650/-

$$\begin{aligned}
 80 \text{ वर्ष पूरा होने पर} &= (41650 + 41650 \times 20\%) + \text{DR} \\
 &= 41650 + 8330 + \text{DR} \\
 &= 49980 + \text{DR}
 \end{aligned}$$

Example 2. फेमिली पेंशन की दशा में

$$80 \text{ वर्ष पूरा होने पर} = (\text{Family Pension} + \text{Family Pension} \times 20\%) + \text{DR}$$

भ्रष्टाचार—एक नैतिक अपराध

आशीष सिंह
(वमसिदूई/इज्जतनगर)

भ्रष्टाचार— जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा स्लोगन एवं प्रत्येक सरकारी इमारतों में पोस्टर दिखाई देते हैं परन्तु उन्ही पोस्टर एवं स्लोगन के नीचे बैठ कर कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार के नैतिक अपराध भी किए जाते हैं।

भ्रष्टाचार कोई नई पद्धति नहीं है अपितु यह सदियों पुराना अपराध है जोकि आधुनिक समाज में एक विकृत रूप में सामने आ रहा है। पुरानी कहानियों में विक्रमादित्य, कृष्णदेव राय, अकबर आदि के समय में भी भ्रष्टाचार था तथा इसके अपराध के एवज में काफी कठोर दंड का भी प्रावधान था। 2005 में ट्रांसपेरेन्सी इटरनेशनल के सर्वे के अनुसार भारत के लगभग 62 प्रतिशत जनता को सरकारी कार्यालय में कार्य कराने के लिए उच्च प्रभाव का सहारा लेना पड़ता है। ट्रांसपेरेन्सी इटरनेशनल के सर्वे के अनुसार भ्रष्टाचार की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत का 84 वाँ स्थान है।

आमतौर पर भ्रष्टाचार का सबसे प्रचलित उदाहरण रिश्वत खोरी है जिसके लिए जनता हमेशा सिस्टम यानि व्यवस्था को ही जिम्मेदार मानकर दोष देती है। जबकि भ्रष्टाचार के इस प्रारूप के लिए जनता यानि स्वयं हम खुद जिम्मेदार हैं। चूंकि व्यवस्था की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है तथा आम आदमी समयभाव के कारण कार्य को जल्दी निपटाने के लिए रिश्वत खोरी का शार्टकट अपनाता है। यही प्रक्रिया रिश्वतखोरी नामक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसीलिए भ्रष्टाविदों द्वारा इस रिश्वतखोरी को सुविधा शुल्क का नाम दे दिया गया है। यही सुविधा शुल्क की प्रक्रिया अक्सर दूसरे अपराधों को भी जन्म देती है। जैसे कि सरकारी बैंको द्वारा लोन की प्रक्रिया लंबी एवं कागजी कार्यवाही अधिक होने के कारण अक्सर लोग रिश्वत का सहारा लेते हैं जिससे लोगों को धूस अथवा रिश्वत के लिए कुछ राशि उधार लेनी पड़ती है जिससे मूल लोन राशि में कटौती करनी पड़ती है। भारत में 1992 को हर्षद मेहता कांड के रूप में लगभग 5000 करोड का महा घोटाला सामने आया था जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध हुआ था। अब तो इस भ्रष्टाचार ने देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों में भी सेंध लगा दी है बोफोर्स घोटाला, सुकुना जमीन घोटाला, कारगिल ताबूत घोटाला आदि इसके अदाहरण हैं।

भ्रष्टाचार का चोरी का बड़ा गहरा संबंध है जिसमें कुछेक ऐसी वस्तुओं का चोरी अथवा दुरपयोग किया जाता है जोकि सार्वजनिक संपत्ति होती है तथा जिसका उपयोग जनता के सेवार्थ किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ— अधिकतर सरकारी चिकित्सालय में दवाओं का आभाव इसलिए नहीं होता कि सरकार द्वारा समुचित दवा खरीद हेतु पैसा नहीं दिया गया अपितु इसलिए होता है कि दवाएँ उनके असली हकदार मरीजों के पास न जाकर बाजार में बिक जाती हैं और कागजों पर उन दवाओं को मरीज ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सरकारी खरीद एवं प्रयोगार्थ सामग्री में भी अक्सर इसी चोरी के मामले सामने आते रहते हैं।

सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के अलावा कमीशनखोरी के रूप में सामने आता है जिसमें अक्सर टेन्डर आदि प्रक्रियाओं में कमीशन खोरी के मामले देखने को मिलते हैं। इसी कमीशन खोरी के चलते टेन्डर आदि प्रक्रियाओं में अधिक मुनाफा कमाने एवं कमीशन की राशि की भरपाई के लिए ठेकेदार

गलत एवं धटिया सामग्री का प्रयोग करते हैं जिससे कार्य में गुणवत्ता का आभाव रहता है। हालांकि सरकारी तंत्र में अब टेन्डर प्रक्रिया को आनलाईन करने के कारण कमीशनखोरी में काफी कमी आई है। इससे सरकारी तंत्र में टेन्डर फर्म की प्रतिस्पर्धा के चलते कार्य की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

भ्रष्टाचार के इन पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए सरकार द्वारा 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया। जिसमें रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाले को भी बराबर का जिम्मेदार माना गया है। इस नियम के अर्तगत सरकारी पद या ओहदे को आधार न मानते हुए उनको 'लोक सेवक' माना गया है। इसके अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी जोकि अपने कार्य के लिए सरकार द्वारा वेतन प्राप्त कर्ता है उसको इस नियम का पालन करना अनिवार्य है।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा सतर्कता विभाग एवं सूचना विभाग को अतिरिक्त शक्तियाँ दी गई हैं तथा कार्य की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के प्रत्येक स्तर के लिए अपराध सिद्ध हो जाने पर रिश्वत लेने एवं देने वाले को कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया है जिसमें कम से कम 03 वर्ष के कारावास से लेकर 07 वर्ष के कारावास का प्रावधान है तथा इनको पुनः करते पाए जाने पर 07 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। किसी भी अवैध संपत्ति रखने वाले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने का कानून है साथ ही अवैध संपत्ति रखना ही उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा।

पहले इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर प्रत्येक भारतीय प्रांत में इसको लागू किया गया था परन्तु धारा 370 के हटने एवं जम्मू एवं कश्मीर को केन्द्र शासित राज्य बनने के कारण इसको भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अर्तगत लाया गया है।

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कड़े कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन कानूनी पेचीदगी के कारण ईमानदार कर्मचारी को भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह भी सही है कि कानून एवं प्रक्रियाओं के चलते कई बार जहाँ कार्यों में विलंबन होता है वहीं पर जटिलताओं के कारण कई फर्म सरकारी तंत्र में कार्य करने से कतराती हैं। लेकिन कुछेक परेशानियों के पश्चात जहाँ कार्य की पारदर्शिता स्पष्ट होती है वहीं पर ईमानदारी से कार्य करने का सुकून भी मिलता है।

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार असल में कानून द्वारा समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि भ्रष्टाचार मात्र मानसिकता की उपज है एवं इसको समाप्त भी मात्र मानसिकता से ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे भीतर यह नकारात्मकता बैठी हुई है कि रिश्वत या कमीशन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि हम प्रत्येक व्यवस्था की प्रक्रिया को नियमतः पालन करते हुए करें तो हमको किसी भी प्रकार के शार्टकट की आवश्यकता ही नहीं होगी। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित अथवा विवश करता है तो कानून की व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण यदि कोई अपराधी सिद्ध होता है तो उसको प्राप्त होने वाली कानूनन सजा अन्य को इन गलतियों के उपसंहार के प्रति सचेत करेगी। इसी प्रकार यदि हमको व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो हमको भ्रष्टाचार के प्रथम स्तंभ यानि स्वयं को भ्रष्टाचार से दूर एवं मुक्त करना होगा तभी इस व्यवस्था से हम भ्रष्टाचार के दंश को दूर कर सकेंगे।

अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.टी.एस.) – “क्या करें, क्या न करें”

इन्द्रजीत गुप्ता
(मुसतानि/यातायात)

अनारक्षित टिकट प्रणाली एक नेटवर्क आधारित टिकट जारी करने की प्रणाली है। यू.टी.एस. के द्वारा Data main server में केन्द्रीकृत सिस्टम में स्टोर होता है। जिससे डाटा की मॉनिटरिंग में काफी आसानी हो गई है तथा इससे सिस्टम से कई प्रकार की रिपोर्ट निकाली जा सकती है। जिससे यात्री सुविधाओं की बेहतरी हेतु प्रबंधकीय निर्णय लेने में आसानी हुयी है।

अनारक्षित टिकट प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारी, क्या करें :

1. सिस्टम को आपरेट करने की जानकारी के साथ –साथ वाणिज्यिक नियमों, विनियमों एवं इसके संबंध में जारी J.P.O. की जानकारी रखें। कार्यग्रहण करते समय UTS टर्मिनल्स की –बोर्ड, प्रिंटर की क्रियाशीलता एवं टिकट के संबंध में चार्ज लेन–देन पंजिका में स्पष्ट उल्लेख करें। कार्य प्रारंभ करते समय टिकट स्टॉक संख्या सिस्टम में सही भरें। अपना यूजर आई.डी. और शिफ्ट आई.डी. एंटर करें। पिछले कर्मचारी से प्राप्त टिकट का नंबर सिस्टम से मैच कर लें। सिस्टम में निजी धन एवं इम्प्रेस्ट कैश की घोषणा सही– सही करें।
2. इस बात का ध्यान रखें कि UTS सिस्टम द्वारा इंगित टिकट का Commencing नम्बर प्रिंटर में उपलब्ध टिकट स्टेशनरी के प्रथम टिकट के नम्बर के अनुरूप है। यात्री को टिकट देने के पहले देखें कि टिकट पर सभी विवरण पठनीय है एवं स्लैश संख्या, टिकट स्टॉक संख्या (Pre Printed number) के अंतिम 4 अंकों के अनुरूप ही अंकित हो रही है। यदि सिस्टम में दी गयी कमांड से भिन्न टिकटें जेनरेट करता है तो तत्काल इसकी सूचना कंसोल को दी जानी चाहिए। मूल एवं सिस्टम के द्वारा जेनरेट की गयी नान इश्यूड, रद्द, आंशिक रूप से रद्द, और विशेष रूप से रद्द टिकटों, दोनों को मैनुअल रूप से अवश्य रद्द कर दें। टिकटों के मिसमैच होने पर निम्न कार्यविधि का पालन करें –
 - यदि टिकट का Accountal सिस्टम में हो गया हो परंतु टिकट स्टेशनरी पर प्रिंट नहीं हुआ, तो पर्यवेक्षक को बुलाया जाना चाहिए। टिकट को Non Issued किया जाएगा तथा शिफ्ट को पर्यवेक्षक की उपस्थिति में टरमिनेट करें। कैश समरी, ट्रांजैक्शन समरी एवं continuity statement का मिलान करें।
 - यदि टिकट स्टेशनरी की Pre Printed संख्या discontinuous हो जाती है तब पर्यवेक्षक की उपस्थिति में शिफ्ट टरमिनेट करें। पर्यवेक्षक द्वारा गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा एवं टिकट रोल को obsolete करेंगे।
 - टिकट के मिसमैच होने के कारण का स्पष्ट उल्लेख संबंधित पंजिका में करें।
 - टिकट मिसमैच को ठीक करने पर बचे हुए सादे टिकट का Accountal –सही तरीके से किया जाए।
3. यदि सिस्टम वांछित गंतव्य से भिन्न कोई गलत टिकट जेनरेट करता है तो दी गयी कमांड को इस उद्देश्य से रखे गये रजिस्टर में दर्ज करें, इससे निरीक्षण अधिकारियों को इसे ठीक करने में मदद मिलेगी।

4. नकदी सौंपते समय कैंसल्ड, नान ईश्यूड, स्पैशल एवं आंशिक रूप से रद्द टिकटों की संख्या के अन्य जोड़ के साथ अपनी डी.टी.सी., आई.टी.सी., एस.टी.सी. टिकटें अवश्य लिखें ।
5. डीटीसी लेते समय शिफ्ट सुपरवाइजर, कैंसल्ड, नान ईश्यूड, स्पैशल एवं आंशिक रूप से रद्द टिकटों को सिस्टम द्वारा जेनरेट टिकटों से दोनों मूल रूप से अवश्य चेक करें। कार्यावधि के बाद जो भी रोकड़ बढ़े या घटे उसको डीटीसी बुक तथा सिस्टम में **Entry** करते हुए रेल राजस्व के साथ ही जमा करें। यदि किसी कारणवश सिस्टम खराब हो जाता है तथा सिस्टम से हार्डकापी के प्राप्त न होने पर कोडेड अल्फा **cumulative cash** की सहायता से सरकारी धन का मिलान कर जमा करें। सिस्टम के द्वारा जेनरेट और जारी टिकट संख्या की आन हैंड टिकट संख्या से जांच अवश्य कर लें, यह संख्या कंप्यूटर स्क्रीन के दायीं ओर नीचे कोने में दिखायी देती है ।
6. पर्यवेक्षक ध्यान रखें कि सभी बुकिंग आपरेटर सही रोकड़, रेल यात्रा कूपन, रियायती आदेश, कैश वाउचर, **Non Issued ticket, Special cancellation ticket, Normal cancellation ticket, Unused ticket** जमा कर रहे हैं । प्रत्येक दिन की बीपीटी विवरणी, कहां से कहां तक, दूरी, किराया, यात्रियों की संख्या, काउंटर की संख्या, सहित यातायात लेखा कार्यालय अगले दिन अवश्य भेजें। प्रत्येक दिन के सरकारी धन को सही-सही रोकड़ कार्यालय/बैंक में समय पर भेजें।
7. प्रत्येक दिन की आर.ओ.पी.डी. लेखा कार्यालय को संबंधित विवरणी के साथ अवश्य भेजें ।
8. जारी किये गए बीपीटी को नियमानुसार सिस्टम में फीड कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनारक्षित टिकट प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारी, क्या न करें:

1. मिसमैच टिकटें जारी न करें ।
2. किसी अन्य के यूजर आई.डी. और पासवर्ड द्वारा लाग इन करने का प्रयास न करे तथा अपना आई.डी. एवं पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न दें। कर्मचारी के आई.डी. के **Misuse** की जिम्मेदारी कर्मचारी की ही होती है। सभी विफलताओं के विषय में संबंधित रजिस्टर में प्रविष्ट दर्ज करना न भूलें।
3. टिकट प्रिंटर के टिकट प्रिंटर कनेक्टर बाक्स को खोलने का प्रयास न करें। प्रिंटर या सिस्टम के क्रियाकलापों से संबंधित अन्य पेरिफेरल्स के साथ छेड़-छाड़ न करें । सुपरवाइजरी आई.डी. और पासवर्ड द्वारा लाग-इन करके सुपरवाइजरी मेनु में प्रवेश करने का प्रयास न करें। सभी सुपरवाइजरी हस्तक्षेप संबंधी गतिविधि सिस्टम के क्रिया-कलाप में लाग इन हो जाती है । टिकट प्रिंटर के रिबन कार्ट्रिज बॉक्स को खोलने का प्रयास न करें ।
4. किसी केबल या किसी पेरिफेरल्स की कनेक्टिविटी को स्वयं डीलिक करने की कोशिश न करें । टिकट के कंटीन्यूयिटी को ब्रेक करने की कोशिश न करें ।
5. नया रोल लेने से पहले अगले संदर्भों के लिए हमेशा यूजर आई.डी. और तारीख के साथ टिकट स्टॉक रजिस्टर में विवरण दर्ज करें ।
6. प्रिंटर में टिकट रोल संबंधी कवर की चाभी पर्यवेक्षक द्वारा अनधिकृत रूप से बुकिंग आपरेटर को नहीं दी जानी चाहिए। सिस्टम में फीड स्टेशनों के बीपीटी टिकट न जारी करें। मिसमैच टिकटों एवं टिकट के विशेष निरस्तीकरण के संबंध में पर्यवेक्षकीय आई.डी. का दुरुपयोग न करें।
7. सरकारी धन का दुरुपयोग न करें।
8. काउंटर पर टिकट रोल जारी करते समय टिकट स्टॉक पंजिका में इंड्राज करना न भूलें।

9. रिटर्न जर्नी टिकट जारी न करें। मिसमैच टिकट, स्पेशल कैसीलेसन टिकट, कैंसल्ड एवं नान इश्यूड टिकट के दौरान दोनों टिकटों को जमा करना न भूलें।
10. सिस्टम के फेल होने की दशा में पीसीटी जारी करने से पहले कण्ट्रोल से प्राइवेट अंको का आदान प्रदान करके **Failure** पंजिका में इंट्राज करना न भूलें।
11. ड्यूटी के दौरान बड़े हुए धन को रेल राजस्व में जमा करना न भूलें।

“प्रशासन में प्रौद्योगिकी का जब हो
सहारा।
भ्रष्टाचारी हो जायेगा तब खुद ही
बेसहारा।।”

Preventive Vigilance: A tool for curbing corruption

**Adya Verma
(CVI/Mech.)**

"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything — Albert Einstein."

Preventive Vigilance is an important instrument of vigilance administration in any organization. It strengthens internal checks and controls of an organization and prevents lapses from occurring by stemming the rot at the initial stages itself. However, it is a continuous exercise to minimize human interface demanding focussed attention of the management.

Preventive Vigilance assumes enormous significance under the following circumstances:

- **Officials have HUGE discretionary power:** Officials vested with discretion may have the perverse incentive to extend favour for personal gain. Preventive vigilance can play an important role by curtailing discretion, defining the power and authority of such officials and putting a suitable system in place.
- **Rules and procedures are complex:** Preventive vigilance results in simplification and standardization of rules and procedures. Not only should a procedure be standardized but it should be easy to comprehend. There is little scope for corruption or manipulations if execution of a work has been done following the established rules and procedures.
- **Decision making is tough and accountability is low:** Delay in decision making is detrimental to the interest of an organization. However, it will be equally damaging for an organization if its honest officials are fearful of taking any decision. All decisions which do not result in profit cannot be viewed as decisions taken with ulterior motives hence there is a need to identify the bonafide decisions taken in an organization. Preventive Vigilance can help evaluating the merits of each decision so that actions taken with ulterior motives and without clear adherence to the laid down procedures can be identified and accordingly dealt with.

For strengthening of the preventive vigilance function, involvement of all stakeholders irrespective of their position in the organization can play an important part. For example, information about the corrupt practices of an official can be provided by his colleague or it may be furnished by the supplier or customer of the company. The concept of whistleblower is also an effective tool for preventive vigilance which deters the employees from engaging themselves in nefarious activities.

The whistleblower, having knowledge of corrupt activities, can provide clinching evidence against the delinquent officials. The culture of whistleblowers should be encouraged

in an organization so that this channel of information gathering from the inside sources can be nourished and built into an effective arm of the vigilance function.

Not only the system and procedures should be simplified, information on vigilance matters should be widely disseminated through various seminars and awareness campaigns. Employees should be educated on various facets of vigilance by holding training programme, periodical workshops, etc. Officials can be sensitized through internet and mobile application also. Equipped with the information, officials will feel empowered to take good decision leading to better governance.

Thus the preventive vigilance brings in following advantages:

- **Transparency** i.e. not hiding any facts or matter from all those who are the stakeholders
- **Fairness** i.e. applying same principles to all concerned under similar conditions
- **Competitiveness** i.e. encouraging competition in the interest of the organization
- **Accountability** i.e. if there is any deviation from the laid down rules/procedures in the business interest of the organization that should be clearly recorded upfront rather be used later as justification.
- Simplification of rules/procedures
- Reducing wastages/leakages, losses and economic decline
- Promoting honesty in the official transactions and ensuring ethical practices

Role of Information Technology (IT) in strengthening of preventive vigilance cannot be undermined. It is pertinent to highlight the IT initiatives taken by CCL for greater transparency like WAN, e-tendering with reverse auction, e-procurement, Online Bill Tracking System, e-payment, e-refund, vehicle tracking system based on GPS, RFID, CCTV, automatic weighment & boom barrier based monitoring, etc. Preventive vigilance has become extremely critical to ensure good governance standards and probity in the implementation of projects involving public money. It results in systemic improvements thus curbing opportunities for corruption and promoting clean business transactions, professionalism, and ethical practices.

*“जीवन में हो सदाचार ,
तो कभी ना होगा भ्रष्टाचार”*

BE VIGILANT

SHRAVAN KUMAR YADAV
(CVI / SECURITY)

A vigilant and aware society is at the core of democratic society. Central Vigilance Commission observes the Vigilance Awareness Week, this is observed every year during the week in which the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel (31st October) falls. This awareness week campaign affirms our commitment to promotion of integrity and probity in public life through citizen participation.

Vigilance awareness can be helpful in bringing attitudinal change with respect to corruption in the country and to fulfill our dream of **Vigilant India, Prosperous India i.e. सतर्क भारत ,समृद्ध भारत.**

The CVC has proposed that it should be made mandatory for officers to undergo at least a one week exposure at the induction stage and then a 2-3-day exposure during the mid-career stage for this attitudinal change towards greater probity and integrity.

Vigilance awareness can be done at three levels :-

1. Government.

- Internal vigilance
- Time Bound disposal of work and incentives
- Building collaborative and cooperative environment
- Focus on bottom-up-approach

2. Stakeholders.

- Development of moral and ethical conduct
- Leveraging technology
- Setting up an internal committee

3. Citizens.

- Holding both government and stakeholders responsible
- Generating awareness with respect to procedural options and drawbacks •
Raising alarms

Vigilance awareness ⇒ social boycott of corrupt ⇒ less corruption



High growth and efficiency



better public service delivery

Vigilance Awareness Promotes Attitudinal Change :-

- Accessibility: Public services are more readily available to citizens e.g., RAILMADAD, CPGRAMS.
- Promoting Integrity among employees. e.g., Mission Satyanishtha.
- Grievance redressal e.g., NIVARAN portal.
- Creating Reliability: Creating an objective and reliable tool that can measure the performance of organizations along these above factors.
- Creating an internal and external ecosystem that promotes working with Integrity where public organizations lead the way.
- Organisational culture should discourage deviant behaviour.
- Improvement of internal processes – promoting internal democracy.
- Time bound disposal of work – e.g., RTI application resolutions.
- Feedback mechanism: constant loop of reviews, feedback and rating of agencies.
- Systemic improvements leveraging technology: e.g., PRAGATI portal.
- Promoting Transparency e.g., Rail Drishti.
- Probities life of public servants gaining trust of citizens.
- Naming and Shaming: increased vigilance will lead to decreased social capital of corrupt.

Vigilance Awareness has potential to usher good governance, promote accountable administration, enable ease of doing business and promote probity in public life through citizen participation. In line with what has been said by our new Railway Minister Ashwini Vaishnaw that he has **"Zero tolerance" towards corruption, departmentalism and compromise with safety.**

*“ डाली जो खाद गलत, फसले खराब हो जाती हैं।
कमाया जो पैसा गलत, नस्लें खराब हो जाती हैं ।। ”*

Dr. Prasoon Tiwari ‘Gardis’

Key points to be ensured dealing Scrap Lots

**Kamlesh Kumar Verma
(CVI/Store)**

- Ensure that lots of distinct natures are made as separate lots to avoid picking and choosing at the time of delivery.
- Ensure that Lot inspection is properly done and lot No. is painted on the lot before inclusion in the auction.
- Ensure that lots are maintained in such a way that they cannot be changed by unauthorized persons before the delivery is completed.
- Every lot to be tried out individually at the first instance.
- While giving installment delivery, ensure that the quantity being delivered is in proportion to the amount paid and that no extra material is delivered.
- Progress of the delivery should be entered on daily basis on the reverse of delivery order.
- Ensure that all the excluded items are collected from the purchaser, before giving delivery of condemned rolling stock.
- Bring to the notice of Depot Officer if the contents of lot to be delivered are found to be significantly different from the description shown in the delivery order.
- Ensure that delivery is made in the permitted hours of working in the presence of authosed railway representatives.

***“Power Tends to Corrupt, and
Absolute Power Corrupts
Absolutely”***

“कविता”

‘हम’ सतर्कता राही

नीरज कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/चिकित्सा)

वह हम हैं, जिसने भ्रष्टाचारी रेल पथिक को रोंका है I
नियमों से ना चलने वालों को, हमने बढ़कर टोंका है II

हम हैं ‘दिनेश’ की वह किरणें, जो सही मार्ग को दिखलाएं I
भ्रष्टाचारी अंधियारे में, हम दीपक जैसे जल जाएं II

इस रेल सरीखे ‘सागर’ में, हम मोती हैं सच्चाई के I
इस भ्रष्टाचारी दानव से, जो लड़ते हैं चतुराई से II

हम सच्चाई के ‘भूषण’ हैं जो ‘वैभव’ को दर्शाते हैं I
हम सच्चाई के दर्पण में, सब चेहरे सही दिखाते हैं II

जब भ्रष्ट मार्ग पर रेल चला, वो गलत मार्ग मुड़ जाते हैं I
तब सख्त कदम लेकर उनको, हम शिष्टाचार सिखाते हैं II

जो सत्य कदम पर चलते हैं, ‘जय’ उनकी होनी निश्चित है I
‘अजित’ वही हो सकते हैं, जिनमें सुचिता का अमृत है II

‘अम्बरीश’ किरण जब पड़ती है, तब अंधियारे छंट जाते हैं I
जब राह में बाधा आ जाए, तो पद्धति नई सुझाते हैं II
कर्तव्य मार्ग से हो विरक्त, उसे सत्य का ‘अमित’ चखाते हैं III

कभी ताप बढ़ा करके हमने, गंदे जल को भी सोखा है I
वह हम हैं, जिसने भ्रष्टाचारी रेल पथिक को रोका है II
नियमों से ना चलने वालों को, हमने बढ़कर टोंका है III

सतर्कता सुखदायिनी: एक कहानी

पंकज कुमार
(आरक्षण पर्यवेक्षक/ गोंडा जं)

सुरेश और दिनेश, लखन बाबू के दो पुत्र थे। सुरेश काफी शालीन और अंतर्मुखी जबकि दिनेश बातूनी, बेवकूफ और वहिरमुखी। लखन बाबू गरीबी से जूझते हुए भी बड़े बड़े सपनों को संजोए रखते और अपने पुत्रों को एक काबिल इंसान बनाने हेतु असीम प्रयास करते। सुरेश को पढ़ाई में काफी रुचि थी परंतु दिनेश में ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों भाइयों को एक शाम भोजन मिलता तो दूसरे शाम भूखे सो जाना पड़ता। सुबह उठते तो सुरेश को पढ़ने जाना पड़ता और दिनेश अपनी गायों को चराने खेतों में निकल जाता। दिनेश किसी काम का था भी नहीं। वह गायों को चराकर लाता तो मां दूध निकालती और उसे बेचकर कुछ भोजन पानी का इंतजाम करती। दिनेश और मां खेतों में काम करते और इससे इस परिवार की जीविका चल जाती।

अचानक एक दिन सुरेश के विद्यालय से प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा सूचना आई कि सुरेश अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो गया है और उसे विकास विद्यालय, रांची में नामांकन करवाने जाना है। लखन बाबू के सामने यह जितनी बड़ी खुशी थी, लोगों के बधाइयों का भीड़ था उससे बड़ी चिंता थी वह सामानों की सूची जिसे खरीदने के लिए कम से कम तीन सौ रुपए की दरकार थी। लखन बाबू ने गांव के ही बड़े महाजन से उधार लेकर सुरेश को नामांकन करवाने रांची निकल पड़े। वहां सुरेश का नामांकन हुआ और लखन बाबू गांव आकर सुख की अनुभूति से लबरेज होकर लोगों को उस स्वर्ण रूपी विद्यालय की कहानियां सुनाते। यह भी कहते कि दिनेश भी इसी तरह से पास होकर किसी बड़े विद्यालय में जाएगा और मेरा बोझ हल्का हो जायेगा चुकी सरकार सुरेश के तरह दिनेश को भी पढ़ने का सारा खर्च उठायेगी।

कुछ समय बीता, सुरेश को हाई स्कूल की परीक्षा में काफी बुरे अंक प्राप्त हुए और विद्यालय ने इंटर में पढ़ाने से मना कर दिया। सुरेश उतना तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं था जितना दिनेश। वैसे लखन बाबू सुरेश को आगे बढ़ते देखना चाहते थे, मां भी ऐसा ही चाहती थी। उधर दिनेश भी अपनी कोशिशें जारी रखे था। अच्छे अंक प्राप्त करते हुए एक सकारात्मक प्रयास कर रहा था। एक तरफ सुरेश भारतीय वायु सेना ज्वाइन कर अपनी सुखद जीवन की उड़ान भरते भरते इस छोटे भाई को भूल गया। लखन बाबू दिनेश को जी भर कोसते।

नालायक दिनेश ही था परंतु ज्ञान का संपुट उसकी खोपड़ी में कूट कूट कर भरा था। लोगों के बदले परीक्षाएं देना और पास करवाना तत्पश्चात पैसे लेना उसकी परिस्थितियों को सुखद नियति में परिवर्तित होता जा रहा था। लोगों के बीच स्कॉलर के रूप में जाना जाता। इसी के सहारे किताबें खरीदता और पढ़ने का काफी शौक रखता। वैसे गलत रास्ते पर जाना दिनेश की मजबूरी थी क्योंकि उसे एक रुपए, दो रुपए के लिए भी तरसना पड़ता। उसकी पढ़ाई का खर्च लखन बाबू उठा नहीं पा रहे थे और सुरेश अपने कमाई को किस किस पर लुटाता, यह एक गंभीर प्रश्न था। न तो सुरेश अठन्नी दे और लखन बाबू के पास तो चवन्नी थी ही नहीं।

समय बीतता गया, दिनेश गलत रूपे कमाने के मकड़जाल में उलझता गया। उसने रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी करने की सोची और यह तो बहुत आसान था उसके लिए चुकी वह तो दूसरों के लिए यह कार्य किया करता था। चयन के बाद भी उसकी इच्छा नहीं थी कि इस नौकरी को ज्वाइन करे। ईमानदारी का भूत एकाएक सवार हुआ दिनेश पर और झोला उठाकर चल पड़ा नौकरी करने। अबतक उसने बेईमानी या कहें भ्रष्ट कृत्यों से अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया था। दिनेश ने सोचा कि इस पैसे को सिविल सेवा की तैयारी पर खर्च किया जाय। उसने अपनी मेधाविता का परिचय दिया और दो बार सिविल सेवा के प्री और मेंस (लिखित) पास कर साक्षात्कार के मुकाम तक अपने को पहुंचा ले गया। अंततः उसे असफलता हाथ लगी और सोचता काश ! गलत कार्य से पैसे कमाने की बजाय तैयारी किया होता।

सुरेश वायु सेना से रिटायर हो गया और दिनेश उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करता रहा । वही भाई जिसने दो रूपे की मदद करना अनुचित समझता था। दिनेश की शादी एक सभ्य एवम सुसंस्कृत परिवार की कन्या के साथ हुआ उसने दिनेश के गलत कार्यों पर लगाम लगा दी। संस्कारी ही नहीं कर्मठ भी थी उसकी पत्नी। वैसे उसे दिनेश पर काफी गर्व होता था क्योंकि अक्सर लोग दिनेश की प्रशंसा करते मिलते।

दिनेश को आंख में क्रिकेट की बाल लगी उसने उसे नजर अंदाज़ किया और विकोटिकृत स्टेशन मास्टर के बाद आरक्षण लिपिक बन गया। उसकी पैसे की लालच छूटी नहीं थी। दिनेश अक्सर अपनी विद्वता का प्रयोग करता और वह अन्य लोगों की अपेक्षा काफी तेज कार्य करता । यहां भी उसने कुछ अच्छा करने के लिए गलत किया । गलती थी या नहीं, विषय यह नहीं है, प्रश्न यह है कि दिनेश आज त्यागपत्र देकर विमुक्त होकर सड़क छाप हो गया है। पत्नी का सहयोग इतने उच्च स्तर का मिला कि दिनेश का स्वाभिमान जीवित है, फिर भी उम्र के बढ़ते पड़ाव पर गलत कार्यों की परिणति तो झेल ही रहा है दिनेश । उसकी विद्वता ही है जो उसके रास्ते के कांटों को साफ करती है। तो गलत , अनैतिक या भ्रष्ट कृत्य क्यों करें जो आप के मान, पद ,प्रतिष्ठा आदि का सत्यानाश कर दे।

सोंच अच्छी रखें । गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। सतर्क रहे, सम्यक कार्य करे,। सफल भी होंगे और प्रतिष्ठित भी।

याद रहे:-----

साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय ।
मैं भी भूखा न रहूं ,साधु न भूखा जाय।।

Irregularities committed by ticket checking staffs

Satya Prakash Chand
(CVI/Traffic)

Common irregularities found during vigilance checks and corresponding rule/authority which is violated by Ticket Checking staffs are as under:-

(A) Irregularities in Private Cash Declaration

- Ticket checking staffs need to declare their PC in accordance with before taking up duty but it is found that TTEs don't write their PC and during vigilance checks cover up illegally earned money as private cash.
(Rule/Authority- IRCA Tariff 26 Part-I Vol-I.)
- Ceiling limit of PC for static staffs and mobile staffs is Rs 750/- and Rs 2000/- respectively.
(Rule/Authority- CC No. 13 of 2014.)
- If PC is more than ceiling limit then it should be get verified by supervisor and its denomination needs to be written.
(Rule/Authority- CC No. 32 of 2017.)
- PC must not be mixed with government cash.
(Rule/Authority- IRCM Vol-II para 2429.)

(B) Irregularities in EFTs

- EFT should be issued using double sided carbon and no alteration is permitted in these tickets. In a vigilance check it was found that a TTE was manipulating all the foils of EFT by sticking stickers (EFT numbers/foils of previously used EFT) on in-use EFT foils with malafide intent.
(Rule/Authority- IRCM Vol-I para 550.)
- Proper reason of EFT cancellation must be recorded on all the three foils of EFT and it should also be get countersigned by Chief Ticket Inspector.
(Rule/Authority- IRCM Vol-I para 555.)
- The TTE will not keep more than one local and one foreign EFT book at a time. He/She may however draw the third book only if 05 or more blank foils are left in the previous book.
(Rule/Authority- CC No. 54 of 2000.)

(C) Irregularities in duty by ticket checking staffs

- TTEs do not perform their duties according to approved link diagram and in some cases deliberately keep respective columns of DMR and Signing On/Off book blank, so as to maintain it after actual arrival of train and claim full TA without performing their actual duty.
- In some cases TTEs do not complete all leg of journeys approved in link diagram and leave the train short of destination (when they have to bypass the HQ) but claim full TA as per the link diagram.
(Rule/Authority- IRCM Vol-I para 556.)
- TTEs should regularize their respective coaches but it is found frequently that TTEs of sleeper coaches use to stay/present in AC coaches instead of their allotted coaches.
(Rule/Authority- IRCM Vol-I para 522/523.)
- It is found that in DMR and Signing On/Off register TTEs deliberately put initials of their signature instead of full signature to get it proxied by someone else even when they don't turn up. In this regard system improvement has also been issued to put full signatures in relevant duty registers.
- TTEs should clear RAC with vacant and NT berths according to priority, after that WL/others passengers should be considered for berth allotment.
(Rule/Authority- IRCM Vol-I para 662.)
- In some checks it is found that TTEs of Raid/Squad Units regularize passengers at Platform but in "Collected At"(name of station) column of EFT they write name of next station and claim TA for their scheduled beat/program without actually going in train.
- In a check it was found that a Supervisor of TTEs was claiming TA on the name of inspection of checking staffs in moving trains without performing actual inspection in train.
- In a TC office it was found that supervisor uses to write the names of all the TCs who have to perform duty in a particular shift and in a practice to write present or absent after the shift over which give scope for TCs to not turn up in their prescribed roster in connivance with supervisor and show their duty without actual performance of duty.

(D) Remittance of periodical returns and railway cash

- TTEs should submit their monthly returns to CTTIs latest by 4th of the following months.
(Rule/Authority- JPO 1/2018 jointly issued by PCCM & PFA/NER.)
- TTEs should deposit collected railway cash immediately after completion of their duty at allotted stations.
(Rule/Authority- IRCM Vol-I para 554.)

(E) Responsibility of CTTIs/Supervisors

- He /She will ensure timely return submission by TTEs and check it thoroughly. If returns are not submitted on time, he should not issue fresh EFT and also not certify TA of that staff.
- He/She will maintain TTE wise register showing serial number of EFT books issued and received back.
- He/She will keep the EFT books returned by the TTEs, for 3 years serially arranged under safe custody.
(Rule/Authority- CC No. 54 of 2000.)

*“LIFE AND TIME ARE THE WORLD’S
BEST TEACHERS”
‘LIFE TEACH US THE USE OF TIME’
‘AND TIME TEACH US THE VALUE OF
LIFE”*

“सतर्कता जागरूकता सप्ताह” एक संक्षिप्त जानकारी

**राकेश कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/विधुत्त)**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा हर साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को मद्देनजर रखकर “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और भारत को एकत्रित और जागरूक करने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। पिछले साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर तक मनाया गया था जिसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति के प्रयासों पर जोर दिया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह कुछ निम्न कारणों से अति आवश्यक है :-

“विजिलेंस अवेयरनेस वीक” के माध्यम से जागरूकता और सतर्कता फैलाने के प्रयासों में एक मिशन जैसी ऊर्जा आ जाती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में हजारों -लाखों की भूमिका शामिल हो जाती है जिससे हर इन्सान या संस्थाओं के द्वारा अपने विस्तार में चुने हुए थीम पर जरूरी बातें समझाई जाती है। निरक्षर लोगो को समझने में आसानी होती है क्योंकि सतर्कता व जागरूकता उनके ही लोकल लोगों के द्वारा फैलाई जा रही होती है साथ ही पम्पलेट्स तथा बैनर के माध्यम से शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों को जरूरी जानकारी दी जाती है। भारत में अशिक्षा और अस्वास्थ्य यह दो मुख्य चिंता के कारण रहे हैं और इन दोनों की कमी के कारण ही लापरवाही और अजागरूकता का जन्म होता है और सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे कार्यक्रमों से समाज के ऐसे भागो में पहुँच कर जागरूकता फैलाई जाती है जो उनके व्यक्तिगत अभावो के कारण समाज से कट चुके हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समय ली जानी वाली प्रतिज्ञाएं :-

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार यह समाज और देश के विकास में एक बड़ी बाधा रही है और मेरा यह भी मानना है कि आज इस बुराई को अपने समाज से दूर करने के प्रयास हमें मिलजुल कर करने की जरूरत है, मुझे एहसास है की प्रत्येक नागरिक को सतर्क और प्रतिबद्ध होना चाहिए।

“प्रतिज्ञा”

“ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में खुद को शामिल करता हूँ।
जीवन के सभी क्षेत्रों में कानून का पालन करना यह मेरा परम कर्तव्य है।
मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ की न मैं रिश्त लूँगा और न ही किसी और को दूँगा।
सभी कार्यों में ईमानदार और पारदर्शी रहूँगा।
ऐसे कार्य करूँगा जिससे समाज और देश का कल्याण हो।
भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को सूचित करूँगा।”

केस स्टडी

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

ए०के० शुक्ल
(मुसतानि/कार्मिक)

एक परिवार में आरोप लगाया गया था कि यांत्रिक कारखाना में एक कर्मचारी फर्जी टी.सी. मार्कशीट के आधार पर अपने पिता के मृत्युपरान्त अनुकम्पा आधार पर धोखे से नौकरी प्राप्त की है। परिवार की जांच में पाया गया कि एक कर्मचारी मोल्डर ग्रेड-1 के पद पर यांत्रिक कारखाना में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 21.03.1993 को हो गयी। स्व. कर्मचारी के प्रथम पुत्र ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में छात्र पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर स्व. कर्मचारी के प्रथम पुत्र की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति यांत्रिक कारखाना में खलासी के पद पर दिनांक 23.08.1994 को हुई है। स्व. कर्मचारी के प्रथम पुत्र द्वारा प्रस्तुत छात्र पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित प्रधानाचार्य से कराया गया। सम्बन्धित प्रधानाचार्य ने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया कि है कि स्व. कर्मचारी के प्रथम पुत्र इस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं रहे हैं तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र इस विद्यालय से जारी नहीं है। इस प्रकार स्व. कर्मचारी के प्रथम पुत्र ने फर्जी छात्र पत्रावली तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर रेलवे में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है। रेलवे बोर्ड के पत्र सं E(D&A) 92 GS4-3 dt 20-07-93 [RBE 110/93 based on DOP & T 11012/7/91-Estt.(A) of 19-05-93], में यह प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा रेल सेवा में नियुक्ति प्राप्त करते के समय गलत सूचनायें/अभिलेख देते हुये नियुक्ति प्राप्त किया है तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जानी अपेक्षित होंगी।

उपरोक्त अनियमितता के लिए सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दण्ड के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

*“Non – Cooperation with evil
is as much a duty as is Co-
Operation with good”*

‘Mahatma Gandhi’

पैसा लेकर नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच

आनन्द कुमार
(मुसतानि / कार्मिक)

एक परिवाद की जाँच में यह पाया गया कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल के अधीन एक कर्मचारी जो रेलवे में गेटमैन के पद पर कार्यरत है, उसने रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए दो बाहरी लोगो से ₹0 1,70,000/ मात्र लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र/प्रशिक्षण पत्र देकर मुजफ्फरपुर भेज दिया वहाँ जाने पर उन्हें बताया गया कि यहाँ कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है और न ही कोई भर्ती हुई है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी ने दोनों व्यक्तियों को धोखा देकर उनसे ₹0 1,70,000/ ले लिया। उक्त रेल कर्मचारी द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसे मंडल से सत्यापन कराने पर फर्जी पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त रेल कर्मचारी ने अपने बयान में स्वीकार भी किया है कि उसने उन व्यक्तियों से ₹0 50,000/ का लेन देन किया था। उक्त रेल कर्मचारी ने बिना अनुमति पैसे का लेन देन किया जिससे रेलवे की छवि धूमिल हुई। अतः उक्त दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दण्ड की अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

बिना बोनाफायड स्कूल प्रमाण-पत्र के 21 वर्ष से अधिक आश्रित पुत्र को सुविधा पास में शामिल किया जाना।

विष्णु प्रसाद
(मुसतानि/लेखा)

एक सतर्कता निवारक जांच में पाया गया कि एक कर्मचारी के विद्यार्थी पास जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, को प्रथम श्रेणी सुविधा पास बिना स्कूल द्वारा जारी बोनाफायड-प्रमाण पत्र को सुनिश्चित किये शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा बाद में दिया गया बोनाफायड-प्रमाण पत्र में पुत्र का नाम कर्मचारी के पास घोषणा पत्र में दर्शाये गये नाम से भिन्न था। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से जारी अनियमित पास के एवज में प्रथम श्रेणी पास के समतुल्य किराया राशि की कटौती की अनुशंसा की गई तथा इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो एक पद्धति सुधार भी जारी किया गया।

अधिवर्षिता तिथि पर सेवा निवृत्ति नहीं किये जाने के सम्बन्ध मे

लल्लन प्रसाद
(मुसतानि/लेखा)

कर्मचारियों के अधिवर्षिता तिथि पर सेवा निवृत्ति को संज्ञान में लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल इकाई कार्यालय में की गई एक सतर्कता निवारक जाच में पाया गया कि एक कर्मचारी जिसकी अधिवर्षिता पर दिनांक 31.10.2019 को सेवा निवृत्ति होनी चाहिए परन्तु प्रशासन द्वारा उक्त कर्मचारी को दिनांक 31.08.2020 तक रेल सेवा में बनाये रखा गया। उक्त कर्मचारी की सेवा अभिलेखों की जाच में पाया गया कि कर्मचारी की मूल सेवा पुस्तिका गुम होने के कारण दूसरी सेवा पुस्तिका तैयार की गई थी जिसमें जन्म तिथि कालम में कर्मचारी का वास्तविक जन्मतिथि के जगह गलत जन्मतिथि अंकित कर दिया गया। जन्मतिथि अंकित करते समय सम्बन्धित कार्यालय द्वारा कर्मचारी की जन्मतिथि से सम्बन्धित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को संज्ञान में नहीं लिया गया, तथा सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित सूची तैयार किये जाने के समय भी कार्यालय द्वारा उक्त कर्मचारी की जन्मतिथि से सम्बन्धित दस्तावेजों को नहीं देखा गया, और न ही कर्मचारी द्वारा भी अपने सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय को सूचित किया गया, जिसके कारण कर्मचारी ने अधिवर्षिता तिथि से अधिक अवधि तक रेल सेवा का कार्य किया गया।

***“ Vigilant India – Prosperous
India ”***

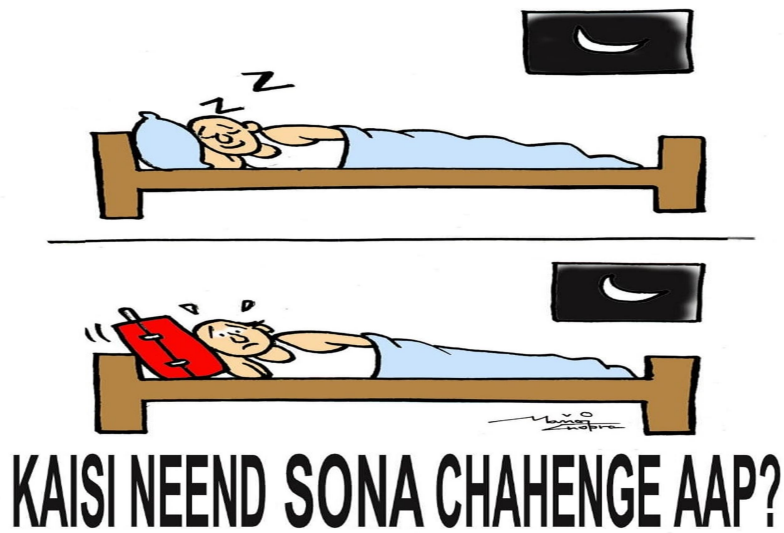
***‘Be a Responsible Indian,
Don’t Take and Give Bribes’***

अवकाश नकदीकरण के भुगतान में अनियमितता

उमा शंकरमिश्र
(मुख्य सतर्कतानिरीक्षक/लेखा)

एक स्रोत सूचना के आधार पर छुट्टी खाते को संज्ञान में लेकर की गई सतर्कता निवारक जांच में यह पाया गया कि अर्धवार्षिता की आयु पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के सेवा सत्यापन कराते समय कार्मिक विभाग द्वारा उसके खाते में 300 दिन LAP एवं 38.5 दिन LHAP शेष दिखाते हुए मिसिल को लेखा सत्यापन के लिए भेजा गया था। लेखा कार्यालय द्वारा कर्मचारी का सेवा सत्यापन करते समय उनके खाते में 300 दिन LAP एवं 07.5 दिन LHAP शेष का सत्यापन करते हुए मिसिल कार्मिक शाखा को को वापस कर दिया गया। लेखा सत्यापन के पश्चात कर्मचारी के लीव सैलरी भुगतान कराने के लिए मिसिल को लेखा विभाग को प्रेषित कर दिया गया । सतर्कता विभाग द्वारा कर्मचारी के मिसिल को सीज कर उसकी जांच किया गया तो पाया गया कि तत्कालीन अवकाश लिपिक द्वारा वर्ष 2011 से 2019 तक का अवकाश खाता नये सिरे से तैयार किया गया था एवं पुनः तैयार अवकाश खाते में बहुत सी छुट्टियां ऐसी है जो पुनः तैयार अवकाश खाते में उन्हे डेबिट नहीं किया गया ।

कर्मचारी के अवकाश खाते की Re-vetting कराई गई तो उनका LAP शेष 300 दिन घटकर 218.5 दिन रह गया जबकि LHAP 07.5 दिन से बढ़कर 22 दिन हो गया। इस प्रकार सतर्कता जांच के परिणाम स्वरूप रू 176243 /- के रेल राजस्व की बचत हुई तथा सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई।



विद्युत निर्माण विभाग में कार्य के संपादन से पूर्व संपादन संबंधी भुगतान किए जाने की अनियमितता

**Somchand singh
(CVI/Electrical)**

विद्युत निर्माण विभाग में हुए करार के भुगतान की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा 'DWC पाइप' कार्य हेतु आपूर्ति की गई। DWC पाइप की आपूर्ति के पश्चात संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा DWC पाइप हेतु 70% का भुगतान करार में वर्णित शर्त अनुसार कर दिया एवं 30% राशि, करार शर्त अनुसार, कार्य संपादन के पश्चात भुगतान हेतु रोक लिया गया। संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा अगले भुगतान बिल में संपादन कार्य हेतु रोक की गई 30% राशि (DWC पाइप हेतु) का भुगतान फर्म को कर दिया, परंतु जांच में सामने आया कि कार्य का संपादन अभी नहीं हुआ है। उपरोक्त कृत्य के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई। फर्म को हुए अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी सुनिश्चित करने हेतु सक्षम अधिकारी को लिखा गया।

टी०आर० डी० विभाग में जनशक्ति आधारित सेवा अनुबंध शर्तों के अनुपालन में पाई गई अनियमितताएं

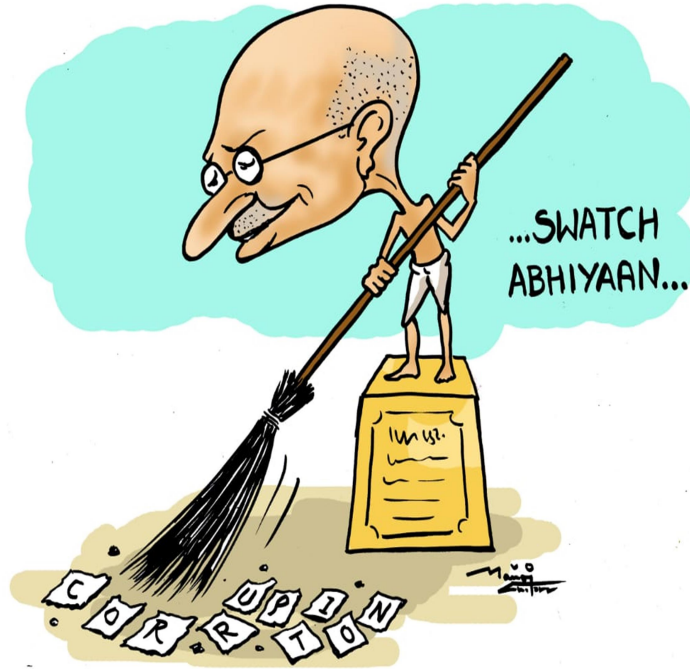
**Somchand singh
(CVI/Electrical)**

टी०आर० डी० विभाग में हुए "जनशक्ति आधारित सेवा अनुबंध", में वर्णित अनुबंध शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु जांच की गई। जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कार्य कर रहे सुपरवाइजर एवं अन्य कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता सुनिश्चित नहीं की गई है, जांच के पश्चात पूर्व में कार्य कर रहे सुपरवाइजर को हेल्पर बना दिया गया। संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा उपरोक्त कमियों के संबंध में कोई कार्यवाही सतर्कता जांच से पहले नहीं की गई। उपरोक्त कृत्य के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई।

विद्युत विभाग में हुए टेंडर की जांच में पाई गई अनियमितता

Somchand singh
(CVI/Electrical)

विद्युत विभाग में जारी हुए करार संबंधी टेंडर प्रक्रिया की जांच की गई। जांच में पाया गया कि निविदा मूल्य 5000000 रुपये से कम का है, एवं JAG अधिकारी (स्वीकृत प्राधिकारी) द्वारा MSOP 2018 में वर्णित “डायरेक्ट एक्सेटेंस” व्याख्या अनुसार निस्तारित किया गया है। Model SOP, 2018 के ‘Notes for Annexure-A’ के मद संख्या 4 के अनुसार स्वीकृत प्राधिकारी यदि न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव (अर्थात् L-1) के अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव स्वीकार करने का विचार करते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा को सीधी स्वीकृति के बजाय निविदा समिति द्वारा निस्तारित किया जाएगा। जांच में पाया गया कि निविदा में न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव (अर्थात् L-1) को अयोग्य पाया गया एवं L-2 को कार्य आवंटित किया गया। लेकिन JAG अधिकारी द्वारा MSOP 2018 में वर्णित “डायरेक्ट एक्सेटेंस” व्याख्या अनुसार निविदा का निस्तारण कर कार्य L-2 फर्म को जारी किया जो नियमानुसार गलत था। इस संबंध में सक्षम अधिकारी को संबंधित JAG अधिकारी पर प्रशासनिक कार्रवाई हेतु लिखा गया।



करारनामा के तहत ट्रेन में कराये जा रहे Pest & Rodent treatment कार्य में पायी गयी अनियमितता

**अशोक कुमार
(मुसतानि/यांत्रिक)**

- A. एक कोचिंग डिपो में करारनामा के द्वारा ट्रेन में कराए जा रहे Pest & Rodent control कार्य की सतर्कता जांच में निम्न कमियां पायी गयी :-
- करारनामा के अनुसार ट्रेन में Glue board निर्धारित संख्या में नहीं पाया गया।
 - कार्य विवरण सम्बन्धी स्कोर कार्ड पर रेलवे पर्यवेक्षक एवं फर्म द्वारा नियमित रूप से हस्ताक्षर नहीं किया जाना पाया गया। जांच के समय अहस्ताक्षरित स्कोर कार्ड पर बाद में फर्म प्रतिनिधि एवं रेलवे पर्यवेक्षकों का हस्ताक्षर किया जाना पाया गया।
 - फर्म द्वारा वर्ष 2018 में कार्य शुरू होने के बावजूद भी जांच तिथि तक Material खपत सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाया गया।
उक्त अनियमितताओं के लिए फर्म के विरुद्ध करारनामा के अनुसार कार्यवाही किया गया और सम्बंधित पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया गया।
- B. एक कोचिंग डिपो में बाह्य एजेंसी द्वारा किये गए Pest & Rodent Control के Final Bill में रेलवे द्वारा लगायी गयी पेनाल्टी से संबंधित परिवाद का निस्तारण:-
- उपरोक्त परिवाद रेलवे द्वारा फर्म को फॉर्गिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराये गए यानों की संख्या एवं फर्म द्वारा फॉर्गिंग किये गए यानों की संख्या में अंतर होने से सम्बंधित है। फर्म को रेलवे द्वारा फॉर्गिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराये गए यानों की संख्या से कम कार्य किये जाने के कारण लगायी गयी पेनाल्टी के विरुद्ध फर्म ने परिवाद किया।
 - रेलवे द्वारा फर्म को फॉर्गिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराये गए यानों की संख्या के निर्धारण हेतु बनाई गयी लॉगबुक उपलब्ध नहीं पायी गयी। जिसके अभाव में कोचिंग डिपो द्वारा यानों की संख्या के निर्धारण हेतु IOH/POH Schedule रजिस्टर को आधार बनाया गया।
 - कोचिंग डिपो में फर्म को फॉर्गिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराये गए यानों के विषय में Communicate करने का कोई उपयुक्त मैकेनिज्म नहीं पाया गया।
 - लगाते समय फर्म को उपलब्ध कराये गये एवं फर्म द्वारा किये गये फॉर्गिंग कार्य की मात्रा का निर्धारण करने में संबंधित विभाग द्वारा करारनामा के परिपेक्ष्य में किये गये interpretation से related था।

उपरोक्त विषयगत परिवाद को मंडल के ब्रांच अधिकारियों द्वारा (JAG level) समाधान नहीं किया गया था। सतर्कता विभाग द्वारा intervention करके प्रमुख विभागाध्यक्ष के माध्यम से परिवाद का निस्तारण किया गया।

यांत्रिक कारखाना में टेंडर स्कूटनी के दौरान टेंडर डॉक्यूमेंट में पायी गयी अनियमितता

D.C. Yadav
(CVI/Mech)

मैकेनिकल वर्कशॉप में बाह्य एजेंसी द्वारा कराए जा रहे कार्य की टेंडर स्कूटनी के दौरान निम्न अनियमितता पायी गयी:-

1. समान कार्य की परिभाषा का सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने की प्रति संबंधित टेन्डर फाइल में नहीं लगायी गयी है।
2. स्कोप ऑफ वर्क के Other terms and condition के Point (l) में उल्लिखित है कि पानी एवं बिजली भुगतान सम्बंधित वर्णन टेंडर डॉक्यूमेंट के special condition के clause no -7 में है परन्तु clause no -7 में पानी एवं बिजली भुगतान संबंधित कोई वर्णन नहीं है वरन इसमें वर्कर को दिये जाने वाले भुगतान संबंधित विवरण है।
3. स्कोप ऑफ वर्क के Other terms and condition के Point (j) के अनुसार Responsibility and liability of payment of wages, ESIC, EPF ,Bonus, workmen's compensation act के बारे में लिखा है कि 'N.E.Railway will not be liable under any circumstances.' जबकि फर्म द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों के भुगतान एवं श्रमिक सम्बन्धी अन्य प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना रेलवे की जिम्मेदारी है।
4. करारनामा में Consumables materials (i.e. paints, primer & hardener), मशीन एवं कार्यरत कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उक्त संबंध में पायी गयी किसी कमी के लिये कोई पेनाल्टी प्रावधान उल्लेखित नहीं है।
5. Scope of work (Para-Temporary enclosure) के अनुसार Grit blasting के उपरान्त Generated waste का डिस्पोजल करने सम्बन्धी निर्देश निम्न रूप से वर्णित है : "These grit particles shall be removed by the firm from Workshop premises **after completion of work**. For this no payment will be made." उक्त के आलोक में इस कार्य के शुरू होने की तिथि से जांच की तिथि तक फर्म द्वारा Grit blasting के उपरान्त Generated hazardous waste का डिस्पोजल नहीं किया गया है और न ही कारखाने के किसी अधिकारी द्वारा hazardous waste का डिस्पोजल हेतु कोई पहल की गयी है।

जांच में उपरोक्त करने से स्पष्ट है कि टेंडर बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कैजुअल व गैर जिम्मेदाराना ढंग से पूर्ण की गई है। अतः इसके लिए संबंधित अधिकारियों को काउंसलिंग किए जाने एवं संबंधित पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।

एक नॉन-रेलवे व्यक्ति द्वारा रेलवे चिकित्सालय से अनधिकृत रूप से मेडिकल पास प्राप्त किये जाने संबंधी मामले की जाँच

**नीरज कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/चिकित्सा)**

एक सतर्कता जाँच के क्रम में पाया गया कि एक रेलवे चिकित्सालय से एक नॉन-रेलवे व्यक्ति को 2014 से 2019 तक लगातार रेलवे मेडिकल पासों के साथ 34 बार एम्स, नई दिल्ली रिफ़र किया गया था। मामले की विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि उक्त बृहद त्रुटि के मूल में मुख्यतः 02 अनियमितताएँ हैं – पहला, चिकित्सालय द्वारा ब्लैंक चिकित्सा उपस्थिति पहचान पत्रों; जो कि एक मनी वैल्यू आइटम है; का एकाउंटल न किया जाना तथा दूसरा, रेलवे चिकित्सालय के पास पेशेंट्स की पहचान सुनिश्चित करने हेतु कोई भी विश्वसनीय सिस्टम का न होना। उक्त दोनों अनियमितताओं का लाभ लेते हुए श्री अशोक कुमार सिंह नामक व्यक्ति द्वारा पहले तो अनधिकृत रूप से रेलवे चिकित्सालय से ही ब्लैंक चिकित्सा उपस्थिति पहचान पत्र प्राप्त किया गया, फिर उसी चिकित्सा उपस्थिति पहचान पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर; रेलवे चिकित्सालय से 2014 से 2019 तक मेडिकल पास प्राप्त कर उन पर यात्रा का लाभ लिया गया। श्री अशोक कुमार सिंह नामक व्यक्ति द्वारा रेलवे चिकित्सालय के एक कर्मचारी से मिली-भगत कर अपने मेडिकल पासों पर कैंसर पेशेंट होने संबंधी सील भी लगवायी, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्रत्येक बार आसानी से 'कैंसर कोटे' की सीट पर रिजर्वेशन मिला। श्री अशोक कुमार सिंह नामक व्यक्ति द्वारा रेलवे बुकिंग ऑफिस के एक कर्मचारी से भी मिली-भगत कर रेलवे को राजस्व हानि पहुँचाई गयी। उक्त रेलवे बुकिंग ऑफिस के उक्त कामर्शियल क्लर्क ने रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 94/TG-I/20/P/14, दिनांक 28.08.2009 के पैरा संख्या (i), (ii) एवं (iii) का बार-बार (एक ही पास पर कन्फर्म रिजर्वेशन निरस्त करने के पश्चात तीन से अधिक बार रिजर्वेशन करना, पासों पर रिजर्वेशन के बाद इंडोर्समेंट न किये जाना एवं एक ही पास पर यात्रा किए जाने के बाद पुनः रिजर्वेशन किया जाना) उल्लंघन कर उक्त नॉन-रेलवे व्यक्ति को अनधिकृत रिजर्वेशन का लाभ पहुँचाया। नॉन-रेलवे व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से प्राप्त कई पासों पर तो वैलिडिटी समाप्त होने के बाद की तिथियों के रिजर्वेशन भी उक्त कामर्शियल क्लर्क द्वारा किये गए। उक्त मिली भगत का लाभ लेते हुए नॉन-रेलवे व्यक्ति द्वारा एक-एक मेडिकल पास पर 04-04 बार तक गोरखपुर से नई दिल्ली एवं वापसी की 2AC में यात्रायें की गयीं एवं एक ही पास पर 06 बार तक रिजर्वेशन कराये गए।

एक नॉन-रेलवे व्यक्ति द्वारा रेलवे को पहुँचायी गयी उक्त बड़ी राजस्व हानि को सतर्कता विभाग द्वारा उजागर किये जाने के पश्चात सर्वप्रथम नॉन-रेलवे व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे द्वारा FIR दर्ज कराई गयी। जाँच के क्रम में ब्लैंक चिकित्सा उपस्थिति पहचान पत्रों का प्रापर अकाउंटल न किये जाने एवं मेडिकल पास जारी करते समय नॉन-रेलवे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित न करने हेतु चिकित्सालय के 05 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। चिकित्सालय के एक अन्य कर्मचारी, जिसके द्वारा मेडिकल पास में प्रविष्टियाँ अंकित की जा रही थी एवं बिना किसी चिकित्सीय आदेश के 'कैंसर पेशेंट' की सील उक्त व्यक्ति के मेडिकल पासों पर लगाई जा रही थी; के विरुद्ध

दीर्घदंड की अनुशंसा की गयी । साथ ही कामर्शियल क्लर्क, जिसने मिली भगत कर उक्त व्यक्ति को अनधिकृत रेलवे रिजर्वेशन का लाभ पहुँचाया, उसके विरुद्ध भी दीर्घदंड की अनुशंसा की गयी । साथ ही उक्त कामर्शियल क्लर्क को अगले 02 वर्षों के लिए Cash-Debar किये जाने एवं 90 यात्राओं के फेयर (नई दिल्ली से गोरखपुर की 2 AC श्रेणी में) के मूल्य के बराबर राजस्व की रिकवरी की अनुशंसा की गयी । साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु एवं रेलवे चिकित्सालय के रेफरल सिस्टम को प्रभावी बनाये जाने हेतु एक विस्तृत System Improvement की अनुशंसा भी की गयी ।

“ You must not worry whether the desired result follows from your action or not, So long as your motive is pure, Your means Correct”

‘Mahatma Gandhi’

अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स के द्वारा करारनामा के अनुसार बिलों पर छूट न दिए जाने सम्बन्धी मामले की जाँच

**नीरज कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/चिकित्सा)**

एक सतर्कता मामले की जाँच के क्रम में पाया गया है कि एक मंडल चिकित्सालय से अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने CGHS (Central Government Health Scheme) के NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) दर पर उक्त संस्थाओं में अनुपलब्ध डायग्नोस्टिक टेस्ट पर उनके दर की 15% -20% तक छूट देने हेतु करार किया था । जनवरी-2020 से फ़रवरी-2020 तक उक्त मंडल चिकित्सालय से अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेफ़र किये गए ऐसे 05 मामलों की रैंडम बेसेस पर जाँच की गयी जो कि CGHS दर पर उक्त अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर उपलब्ध नहीं थे अर्थात जिन पर अलग-अलग अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स द्वारा 15%-20% तक की छूट देने हेतु करार किया गया था । उक्त 05 मामलों को अलग-अलग 03 डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेफ़र किया गया था। जाँच में पाया गया कि केवल एक डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा ही अनुबंध के अनुसार रेफ़र किये गए मामलों में छूट प्रदान की जा रही थी। बाकी अन्य दो डायग्नोस्टिक सेंटर्स द्वारा करारनामा का उल्लंघन करते हुए रेलवे से रेफ़र किये जा रहे पेशेंट को जाँच में कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही थी। चूँकि मामला रेलवे राजस्व की हानि से जुड़ा हुआ था तथा करारनामा के अनुसार अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स द्वारा छूट न दिए जाने के बाद भी उनके बिलों को यथावत स्वीकृति प्रदान की जा रही थी एवं उक्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स को अधिक भुगतान किया जा रहा था, अतः उक्त बिलों की जाँच करारनामा की शर्तों के अनुसार न किये जाने हेतु 02 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं एक चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी । साथ में रेलवे को हुई राजस्व हानि को संज्ञान में लेकर ₹ 46,141/- की रिकवरी करायी गयी । भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बिलों में बदलाव एवं अन्य जरूरी बदलावों हेतु एक पद्धति सुधार की अनुशंसा भी की गयी ।

**“देश के विकास दर को बढ़ाना है,
तो भ्रष्टाचार को मिटाना है ”**

एच०एस०डी० आयल में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में की गयी सतर्कता निवारक जाँच

कमलेश कुमार वर्मा
(मुसतानि / भण्डार)

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल में एक स्टेशन पर एच०एस०डी० आयल की मात्रा को संज्ञान में लेकर एक सतर्कता निवारक जाँच की गयी। जाँच में स्टेशन मास्टर की एच०एस०डी० आयल पंजिका में गलत प्रविष्टियाँ अंकित पायी गयी तथा कामर्शियल एव ओ.एच.ई. सप्लाई होने के बावजूद डीजल लेजर पंजिका में डी०जी० सेटों को चला दिखाया गया।

जाँच में पाया गया की सम्बंधित स्टेशन पर IPS का बैकअप भी था, तथा AT सप्लाई से IPS को जोड़ने के बाद डी०जी० सेटों को चलाने की आवश्यकता नहीं थी। IPS, कामर्शियल विद्युत् सप्लाई एव AT supply दोनों से चार्ज होता है तथा एक सप्लाई के नहीं रहने पर दूसरी सप्लाई से चार्जिंग बनी रहती है साथ ही दोनों सप्लाई के नहीं रहने पर भी उसकी बैकअप चार्जिंग इतनी रहती है कि कुछ समय तक कार्य सुगमता पूर्वक चलता रहे। इस प्रकार कामर्शियल विद्युत् सप्लाई, AT supply एव IPS बैकअप में से किसी एक के रहते हुए डी०जी० सेटों को चलाने की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

जाँच में सम्बंधित स्टेशन की डीजल खपत पंजिका में प्रति घंटा डीजल खपत 3 लीटर अंकित पाई गयी, जबकि जाँच में वास्तविक खपत 2.5 लीटर/घंटा मिली। अतः प्रति घंटा 0.5 लीटर अधिक खपत दिखाकर भी इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा था।

जाँच में सम्बंधित स्टेशन की स्टेशन मास्टर रिलीफ डायरी की जाँच करने पर पाया गया की जाँच किये गए तीन महीनों में स्टेशन मास्टर रिलीफ डायरी में मात्र 38 घंटे डी०जी० सेट चला दिखाया गया है, जबकि डी०जी० सेट पंजिका में उक्त समयावधि में 444 घंटे की प्रविष्टि की गयी है अर्थात् स्टेशन मास्टर रिलीफ डायरी के सापेक्ष 406 घंटे अधिक डी०जी० सेट गलत तरीके से चला दिखाया गया।

एच०एस०डी० आयल में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सम्बंधित स्टेशन मास्टर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।

***“If we are not a part of the solution
then we are the problem”***

‘Shiv Khera’

Non- Stock सामग्रियों की खरीदारी से सम्बन्धित मांगपत्र के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच

**विनोद चन्द्र यादव
(मुसतानि / भंडार)**

सतर्कता जांच के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल की इकाई में यह पाया गया कि Non- Stock मदों की खरीदारी से सम्बन्धित काफी संख्या में मांगपत्र लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पाए गए। जाँच में यह भी पाया गया कि न तो मांगकर्ता विभाग द्वारा ही उन मांगपत्रों को कभी चेज किया गया और न ही भंडार विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही की गयी। उस इकाई के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे मदों के लिए मांगपत्र बनाये गये जिनकी वास्तव में आवश्यकता ही नहीं थी। मांगपत्र बनाते समय मद की आवश्यकता से सम्बन्धित Essentiality Certification सम्बन्धित field officer द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नॉन स्टॉक मद खरीदने के लिए भेजे गये मांगपत्रों का हर तीन माह में उस इकाई के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा एक Review Meeting किया जाय, जिससे केवल आवश्यक मदों की खरीदारी सुनिश्चित हो सके तथा जिस मद की आवश्यकता नहीं हो उसे उस स्तर पर निरस्त किया जा सके जिससे रेल राजस्व की अनावश्यक रूप से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

निविदा केसों में तकनीकी उपयुक्तता देने के सम्बन्ध में सतर्कता जांच

**विनोद चन्द्र यादव
(मुसतानि / भंडार)**

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल की इकाई में मांगपत्र पर एक Non- Stock मद की खरीद प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि निविदा केस में दो बार retender किया गया। दोनों ही बार retender consignee से तकनीकी उपयुक्तता अत्यधिक देरी से प्राप्त होने के कारण किया गया, जब की मद की आवश्यकता बनी हुई थी। किसी निविदा केस को निविदा की वैधता तिथि में निस्तारण करने के लिए तकनीकी उपयुक्तता समय से उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि निविदा के अंतर्गत प्राप्त ऑफर्स की तकनीकी उपयुक्तता निविदा की वैधता तिथि को ध्यान में रख कर उपलब्ध कराया जाय। साथ ही तकनीकी उपयुक्तता देने में सम्बन्धित अधिकारी / पर्यवेक्षक द्वारा एक साप्ताहिक समीक्षा भी सुनिश्चित किया जाय जिससे निविदा केसों का निस्तारण समय सीमा में हो सके।

एक परिवार की सतर्कता जांच के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के भंडार विभाग की एक इकाई में पायी गयी विसंगतियां

**राकेश कुमार सिंह
(मुसतानि/भंडार)**

- एक परिवार की सतर्कता जांच के दौरान भंडार विभाग की एक इकाई में मुख्यालय द्वारा जारी एक क्रयादेश के अनुपालन में प्रतिष्ठान द्वारा आपूर्ति मद का रिजेक्शन मैनुअली रूप में किया पाया गया जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2018/Trans cell/S & T/Go Digital दिनांक 19/03/2019 के अनुसार भंडारित मदों के लेखांकन एवं रिजेक्शन तक के सभी कार्य पेपरलेस आनलाइन IMMS/IREPS के माध्यम से किये जाने का प्रवधान है तथा ये सभी कार्य IMMS/IREPS के माध्यम से किये जाने चाहिए थे ।
- जांच में यह भी पाया गया कि भंडार की उस इकाई के पावती अनुभाग में कार्यरत सुपरवाइजर अपने पद (सेंसिटिव स्थान) पर लगभग 07 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत पाये गये जो रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
- जांच में एक ही प्रतिष्ठान द्वारा उस इकाई में आपूर्ति 08 मदों के लेखांकन में लगभग 100 दिनों से अधिक का समय लगा पाया गया । प्रतिष्ठान द्वारा आपूर्ति भंडारित मदों के लेखांकन में इतना विलम्ब पाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि लेखांकन इत्यादि में समयबद्धता को गंभीरता से नहीं लिया गया है ।
- अतः इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए सम्बंधित अधिकारी को सतर्कता विभाग द्वारा पत्र लिखा गया ।

***“The Biggest disease is
corruption.
The vaccine is transparency”***

Preventive check regarding refund of BSV in shortage of sold Lots

**Rakesh Kumar Singh
(CVI/Store)**

In course of a preventive check carried out for scrap sale in a Stores Depot, it has been Observed that-

- Quantities of several lots were short at the time of delivery from the purchased quantity. The reason found was incorrect estimation of the Lot at the time of approval
- Estimation of the quantity of a scrap lot is an important step of scrap sale. Estimating the exact weight of a voluminous, bulky and inexpensive ferrous material is a tedious job. This must be done in a smart manner after keeping a record of the In and Out of scrap material and also it require expertise of the Supervisor. More cases of short delivery and long delay in refund indicate the casual approach of working by the concerned staff.
- It has also been observed that in such cases of short delivery the claimed refund by the purchaser is paid after a long time up to 6 months. Due to this delay a huge number of complaints were being received from Scrap Purchaser.
- In view of the above Vigilance Department highlighted the Problem and instructed concern department to issue a system improvement for minimizing short delivery cases and reduce the time taken to refund the amount of undelivered quantity.
- On recommendation by the Vigilance Department, the Concern Department issued a System Improvement. In which they instructed concerned officials to maintain a record of In and Out of scrap Material precisely so that shortage cases can be minimized.
- The Main reason found behind delay in refund cases was returning of file by Account Department in want of original copy of application by the Purchaser .But being his legal right, it has been instructed that refund cases may be initiated just after the short delivery even without receiving application or application received via mail, other media etc. from the Purchaser.
- After implementation of above system improvement the short delivery cases got reduced to 03 no. in comparison to previous year 12 cases. The average time taken in refund cases got reduced from 6 months to 1.5 months. This resulted in a decrease in number of complaints and increase in the interest/Faith among scrap purchasers to bid for Scrap Lots.

“युवाओं का कर्तव्य है भ्रष्टाचार का विरोध करना ”

‘Kurt Cobain’

Irregularities in installation and Commissioning of Data Logger

**Anoop Kumar
(CVI/S&T)**

During a Vigilance check on commissioning of Data Logger in one of the divisions of this railway, it was found that Data Logger was supplied along with one SMPS Charger of 24V/10A and 04 Nos. VRLA Battery of 12V, 42AH (for 24V Battery Bank). The SMPS charger was physically available at the Data Logger site but it was not connected to the power source/charging load. The 24V battery bank was lying idle in the store of the concerned SSE. So, during commissioning of Data Logger, neither the SMPS Charger nor battery bank were made functional. Storage of batteries in the store in unused condition for indefinite periods adversely affects its life.

It was also found that the SMPS Charger along with battery bank forms a part of the Data Logger system for which there is a comprehensive AMC on this railway. However, due to non-commissioning of SMPS charger and Battery, railway administration was unable to realize full value for the money being spent by it on comprehensive AMC of Data Logger.

In view of the aforesaid situation, System Improvement was suggested by Vigilance department and acknowledged by concerned department that SMPS Charger along with 24V battery bank must be commissioned as Main/standby supply to Data Logger along with IPS back up as it will ensure uninterrupted logging of events in case of failure of IPS Supply. This shall also help to prevent scenarios wherein firms get paid for supply, Installation & commissioning and also Comprehensive AMC of Data Logger even though the SMPS Charger/ Battery are not commissioned and simply lying in store. Moreover, the concerned department also issued directives to all divisions not to procure SMPS charger and battery along with Datalogger where IPS has been provided.

***Win as if you were used to it,
Lose as if you enjoyed it for a
change,***

‘Ralph Waldo Emerson’

अधिकारी विश्रामालय एवं स्टेशनों पर स्थापित TV के DTH रिचार्ज में अनियमितता के सम्बन्ध में

आलोक कुमार त्रिपाठी
(मुसतानि/सिग.)

पूर्वोत्तर रेलवे के एक अधिकारी विश्रामालय में स्थापित सभी TV के DTH के रिचार्ज की जांच किया गया । Quotation के आधार पर विभिन्न लोकेशनों के कुल 38 अदद DTH कनेक्शन का अनुरक्षण सहित वार्षिक रिचार्ज कराया जाना था जिसकी वैधता दिनांक 01.05.20 - 30.04.21 तक की होनी चाहिए थी । सतर्कता जांच के दौरान यह प्राप्त हुआ कि ज्यादातर डीटीएच कनेक्शन की वैधता दिनांक 30.04.2021 तक नहीं थी अपितु काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी । Quotation के अनुसार वार्षिक अनुरक्षण के साथ रिचार्ज हेतु 3 तरह के प्लान लिए गए थे । सभी प्लान के अनुसार एक बार में ही वार्षिक रिचार्ज कराया जाना चाहिए था, किन्तु सतर्कता जांच में यह प्राप्त हुआ कि फर्म द्वारा आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे मूल्य के रिचार्ज कराए जा रहे थे । उक्त की पुष्टि सेवा प्रदाता फर्म के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा भी किया गया ।

फर्म द्वारा बिना वार्षिक रिचार्ज कराए ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया गया तथा सम्बंधित कर्मचारी / अधिकारी द्वारा बिना भौतिक सत्यापन तथा बिना पूर्ण रिचार्ज कराए ही प्रस्तुत बिल को सत्यापित किया गया एवं फर्म को रु 3,11,503/- का पूर्ण भुगतान कराये जाने की सहमति प्रदान किया गया ।

ज्ञापन के अनुसार कार्य पूर्ण किए बिना ही फर्म को भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग की संस्तुति पर विभाग द्वारा जिम्मेदार रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा फर्म द्वारा गलत भुगतान लिए जाने के कारण फर्म से 20 प्रतिशत जुर्माने के साथ कुल ₹ 50773/- की वसूली की गई ।

“ हम खुद के घर,पडोसी,सोसाइटी, ग्राम और स्कूल से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं”

‘Kiran Bedi’

कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य हेतु मदों की आपूर्ति नहीं किया जाने तथा निविदा में मदों का पूर्ण विवरण न दिये जाने के सम्बन्ध में

**आलोक कुमार त्रिपाठी
(मुसतानि/सिग.)**

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में स्थापित समपार फाटक के इंटरलॉकिंग कार्य की सतर्कता निवारक जांच किया गया । जांच में निम्नलिखित अनियमितता प्राप्त हुई -

1. सतर्कता जांच में यह पाया गया कि करारनामा के अंतर्गत Lifting Barrier की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया जाना था किन्तु उक्त समपार फाटक पर Lifting Barrier पहले से ही स्थापित था, इसका तात्पर्य यह है कि साइट का सर्वे किये बिना ही प्राक्कलन तैयार किया गया था ।
2. निविदा में कुछ मदों का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया था । एक फर्म विशेष के Catalogue में दिये गये विवरण के अनुरूप सामान की आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया था जो Generic Specification नहीं था ।
3. कार्यदायी संस्था द्वारा Inverter 24v dc/110v ac 500VA, Battery Charger 230V AC/24V DC 30A तथा ARA terminal की आपूर्ति नहीं किया गया था , उक्त सभी मदों का निरीक्षण RDSO द्वारा किया जाना था तथा यह सभी मद अत्यन्त आवश्यक थे । कार्य को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु उक्त मदों की व्यवस्था रेलवे द्वारा किया गया । उक्त मदों के दर की तुलना अद्यतन दरों से किये जाने पर यह प्राप्त हुआ कि सभी मदों की दर में वृद्धि हुई है। अद्यतन दरों में वृद्धि के रेल राजस्व की क्षति हो रही थी । M.B के अनुसार उक्त मदों हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया था अतः किसी कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं माना गया किन्तु कार्यदायी संस्था के बिल से अद्यतन नियम के अनुसार कटौती करने की अनुशंसा किया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा पद्धति सुधार की अनुशंसा किया गया तथा सतर्कता विभाग की संस्तुति पर विभाग द्वारा फर्म के बिल से लगभग रु 53,624/- की कटौती किया गया ।

“ यह धरती हर एक की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक की भी लालच को नहीं ”

‘Mahatma Gandhi’

मुख्य टिकट निरीक्षक द्वारा अनियमित रूप से यात्रा भत्ता का आहरण

रमन सिंह
(मुसतानि/यातायात)

वाराणसी मण्डल के विभिन्न मुख्य टिकट निरीक्षक कार्यालयों की जाँच इस उद्देश्य से की गई कि कहीं स्टैटिक/टेबल ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से यात्रा भत्ता का आहरण तो नहीं किया जा रहा है।

- मुख्य टिकट निरीक्षक कार्यालय 'क' की जाँच के क्रम में कार्यालय में स्टैटिक/टेबल ड्यूटी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का विवरण प्राप्त किया गया साथ ही उक्त सभी कर्मचारियों द्वारा पिछले 06 माह के यात्रा भत्ता आहरित किये जाने सम्बंधी विवरण मण्डल कार्यालय से प्राप्त किया गया।
- प्राप्त सभी अभिलेखों के प्रतिपरिक्षण में पाया गया कि मुख्य टिकट निरीक्षक कार्यालय के प्रभारी द्वारा स्टैटिक/टेबल ड्यूटी में कार्यरत होते हुए भी उक्त 06 माह के दौरान प्रत्येक माह लगभग 06 दिन का यात्रा भत्ता आहरित किया गया है।
- मुख्य टिकट निरीक्षक कार्यालय 'क' के प्रभारी द्वारा उक्त रूप से आहरित यात्रा भत्ता के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मंडल के निर्देश पर वे गाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने हेतु जाते थे उसी के फलस्वरूप उनके द्वारा यात्रा भत्ता आहरित किया गया है।
- प्रभारी द्वारा उक्त सभी यात्राओं के सम्बंध में न ही TTE-12 को अद्यतन किया गया था और न ही DMR एवं Sign ON/Off पंजिका में ही कोई विवरण अंकित किया गया था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा गाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों के निरीक्षण से सम्बंधित कोई निरीक्षण रिपोर्ट भी मंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वास्तविक रूप से उनके द्वारा कोई सरकारी कार्य किया गया था अथवा नहीं; जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा यात्रा भत्ता आहरित किया गया था।
- उपरोक्त जाँच में यह अनियमितता प्रकाश में आयी कि प्रभारी द्वारा गाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों के निरीक्षण के नाम पर अनियमित रूप से यात्रा भत्ता आहरित किया गया था। प्रभारी के विरुद्ध डी.ए.आर के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा भविष्य में उपरोक्त रूप से अनियमित यात्रा भत्ता आहरण पर रोकथाम हेतु निम्न पद्धति सुधार जारी किया गया :-
- I. प्रभारी द्वारा गाड़ियों में कार्यरत चल टिकट निरीक्षकों के निरीक्षण के उपरांत उसी दिन वाणिज्य नियंत्रक को सी. यू.जी./उपलब्ध संसाधनों द्वारा कन्ट्रोल डायरी में प्रविष्टि अंकित करवा दी जाये कि उनके द्वारा अमुक गाड़ी में अमुक स्थान से अमुक स्थान तक निरीक्षण किया गया है।
- II. प्रभारी द्वारा कृत निरीक्षण की एक लिखित निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक रूप से मंडल कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये भले ही निरीक्षण में कोई अनियमितता मिले अथवा नहीं।
- III. प्रभारी द्वारा कृत निरीक्षण के सम्बन्ध में TTE-12 पर पूर्ण विवरण अंकित करके अद्यतन रखा जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण रिपोर्ट एवं TTE-12 में अंकित विवरण से प्रतिपरिक्षण किया जा सके।

स्थान शुल्क की गलत गणना कर रेलवे राजस्व को हानि पहुंचाने का मामला

राजीव कुमार श्रीवास्तव

(मुसतानि/यातायात)

एक स्टेशन 'ए' की गुड्स यार्ड की सतर्कता निवारक जॉच रात्रि में लगभग 23.15 बजे की गयी। उक्त स्टेशन ग्रुप-1 का था, जहाँ गुड्स कार्य अवधि प्रातः 06.00 बजे से रात्रि के 22.00 बजे तक निर्धारित है। जॉच के क्रम में निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आई:-

- माल की उतराई (Unloading) हेतु एक 42 बीसीएन रैक को स्टेशन के गुड्स यार्ड के लाइन नं० 05 में कामर्शियल प्लेसमेंट प्रातः 07.30 बजे दिया गया, उक्त रैक पर निर्धारित फ्री टाइम 09 घंटे के अर्न्तगत 16.30 बजे तक था। उक्त रैक के 19.30 बजे रिलीज होने पर नियमानुसार 03 घंटे का विलम्बन शुल्क ₹19845 वाणिज्य अधीक्षक द्वारा लगाया गया था।
- चूंकि यह ग्रुप-1 का मालगोदाम था, इसलिए यहाँ परेषणों के रिमूवल का फ्री समय 12 घंटे का है। अतः उक्त रैक से उतारे गए गुड्स यार्ड के प्लेटफार्म से रिमूवल हेतु फ्री समय अगले दिन 12.30 बजे तक था।
- रात्रि में 23.15 से 23.25 बजे के मध्य की गयी निवारक जॉच में पाया गया कि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न जेसीबी मशीनों द्वारा ट्रैको में स्टोन चिप्स की लोडिंग का कार्य संबंधित ठेकेदारों द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा था; जबकि गुड्स कार्य अवधि रात्रि के 22.00 बजे तक ही थी। तत्काल ही जॉच दल द्वारा कार्यरत स्टेमा को संज्ञान में लाकर स्टेशन पर पदस्थापित रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस को साथ में लेकर उक्त प्रकार से किये जा रहे अनियमित रिमूवल के कार्य को रूकवाया गया।
- उक्त स्टेशन पर वाणिज्य अधीक्षक पर्यवेक्षकीय रूप में कार्यरत है। अतः माल संबंधी सभी कार्यों के निष्पादन/सम्पादन करने की उनकी पूर्ण जिम्मेदारी थी, परन्तु रैक के गुड्स यार्ड में प्लेस होने के बावजूद भी वे उक्त स्टेशन से इतर 20 किमी. दूर अपने निजी आवास को चले गये थे। इस संबंध में उनके द्वारा रात्रि में 22.00 बजे के बाद माल के रिमूवल से संबंधित कोई कार्य नहीं किए जाने हेतु स्टेशन पर पदस्थपित रेसुब. को कोई मेमो नहीं दिया गया था।
- उक्त रैक से माल रिमूवल हेतु निर्धारित फ्री टाइम अगले दिन 12.30 बजे तक था, परन्तु वाणिज्य अधीक्षक ने रिमूवल की गणना अनलोडिंग के फ्री टाइम की समाप्ति अर्थात् 16.30 बजे से न करके रैक के रिलीज समय अर्थात् 19.30 बजे से रिमूवल हेतु 12 घंटे का फ्री समय देते हुए माल का रिमूवल अगले दिन 15.30 बजे दर्शाया है, जबकि फ्री टाइम रैक के रिलीज समय 16.30 बजे के पश्चात से ही 12 घंटे दिया जाना चाहिए था। माल के रिमूवल हेतु फ्री टाइम 12.30 बजे समाप्त हो गया, तदनुसार 12.30 बजे से 15.30 बजे तक का 03 घंटे का स्थान शुल्क लिया जायेगा जो कि वाणिज्य अधीक्षक द्वारा नहीं लिया गया।

उक्त जॉच में वाणिज्य अधीक्षक द्वारा गुड्स कार्य अवधि के समाप्त होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे माल के रिमूवल को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था साथ ही स्थान शुल्क की गणना गलत तरीके से करके रेल राजस्व को हानि पहुंचाने का मामला उजागर हुआ। जिसके लिए माल अधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई एवं रेल राजस्व में स्थान शुल्क के रूप में ₹19845 की वसूली सुनिश्चित कराई गई।

**Use of CCTV Footage To Debunk the False Claim of Lease Holder For
Preventing Loss of Rail Revenue**

**Dhananjay Kumar Singh
(CVI/Traffic)**

- A Lease Holder was allotted lease in Train X having Prescribed carrying capacity of 3.9 T. Lease originates from stn (A) and terminates at stn (C) having loading/unloading permission at intermediate stn (B).
- During a preventive check lease was jointly reweighed at intermediate stn (B) and destination stn (C). During the joint reweighment at both stations (B) & (C) excess weight found over and above actual PCC.
- At the time of effecting delivery of lease at destination station (C), lease holder produced 2 Manifest having loading particulars from originating station (A) and intermediate station (B).
- Lease holder was directed to deposit the undercharge and Penalty. But he denied to deposit the same.
- According to him excess weight which was found during joint reweighment at stn (B) & stn (C) was not totally loaded at originating station (A), while some consignments were loaded at intermediate station (B) after unloading the consignments loaded for intermediate station (B) from originating station (A). For supporting his claim he also produced a manifest having loading particulars from stn (B).
- Therefore for ascertaining the authenticity of his claim CCTV footage of Stn (B) was seen and found that there was no any loading from Stn (B) in Train X, which confirmed that manifest having loading particulars from Stn (B) was false and produced by the lease holder just to escape the undercharge & penalty.
- As during check it was confirmed that there was no any loading at Stn (B), lease holder was made to deposit the undercharge and penalty.
- This way using the CCTV footage installed for passenger amenities was used to debunk the false claims of Lease Holder.

उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण के कार्यक्षेत्र में दोहरीकरण कार्य में सप्लाई किये जाने के बाद भी ब्लैकेटिंग मैटेरियल का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में पायी गयी अनियमितता

**रजनी कांत दुबे
(मुसतानि/इंजी०)**

- 1- एक सेक्शन के दोहरीकरण कार्य में एक अनुबंध के तहत 06 चट्टे ब्लैकेटिंग मैटेरियल की सप्लाई (कुल 8145.781 घनमी०) को दिसम्बर 2013 में लिया गया एवं ब्लैकेटिंग मैटेरियल की सप्लाई लेने के पश्चात अनुबंध के अनुसार 20 प्रतिशत मात्र को Retain रखते हुए कुल 6516.625 घनमी० मात्रा हेतु रुपये 78,93,587/- का भुगतान एजेंसी को कर दिया गया। भुगतान से पूर्व, सम्बंधित कार्यपालक इंजी०/निर्माण द्वारा ब्लैकेटिंग मैटेरियल का टेस्ट स्वयं स्थल पर किया गया एवं इसके कुछ सैंपल जाँच हेतु जिओ टेक लैब/गोरखपुर छावनी को भेजे गए। सम्बंधित कार्यपालक इंजी०/निर्माण एवं सीनियर सेक्शन इंजी०/निर्माण द्वारा इस ब्लैकेटिंग मैटेरियल की गुणवत्ता संतोषजनक दर्शाते हुए इसका भुगतान एजेंसी को किया गया।
- 2- परन्तु इस ब्लैकेटिंग मैटेरियल की सप्लाई लिए जाने के उपरांत इसका प्रयोग 6 माह तक नहीं हुआ एवं सप्लाई के उपरांत जून माह 2014 में कार्यपालक इंजी०/निर्माण द्वारा साइट पर एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ की गयी जाँच में उक्त मैटेरियल पास नहीं हुआ। इसके उपरांत तत्कालीन मुख्य इंजीनियर/निर्माण द्वारा भी सप्लाई लिए गए ब्लैकेटिंग मैटेरियल की गुणवत्ता पर जनवरी 2015 में प्रश्न चिन्ह लगाया गया। वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में तत्कालीन उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/वाराणसी द्वारा पत्र लिखकर एजेंसी को आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन के अनुसार ब्लैकेटिंग मैटेरियल को मानक के अनुसार एवं अन्य उचित अवयव मिलाकर गुणवत्ता ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया एवं कार्यपालक इंजीनियर ने एजेंसी को अनेक पत्रों द्वारा गुणवत्ता ठीक करने हेतु लिखा गया है परन्तु एजेंसी द्वारा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- 3- एजेंसी द्वारा सितम्बर 2016 में एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि इस ब्लैकेटिंग मैटेरियल में कुछ अवयवों को मिलाने पर यह निर्धारित मानक को पूर्ण कर देगा जिसके तत्पश्चात कार्यपालक इंजीनियर द्वारा जिओटेक/ गोरखपुर छावनी द्वारा मैटेरियल को स्टोन जीरा, स्टोन डस्ट तथा स्थानीय बालू मिलाने के बाद भी टेस्ट कराने पर मैटेरियल उचित गुणवत्ता के मानक को नहीं पूर्ण कर रहा था जिसके उपरांत कार्यपालक इंजीनियर/ निर्माण द्वारा फेल मैटेरियल को साइट से हटाए जाने हेतु जनवरी 2017 में एजेंसी को निर्देशित किया गया।
- 4- जनवरी 2017 में फेल मैटेरियल को साइट से हटाए जाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरांत एजेंसी को कई रनिंग बिलों का भुगतान किया गया परन्तु फील्ड अधिकारियों द्वारा फेल मैटेरियल के संबंध में किये गये भुगतान की कटौती को प्रस्तावित नहीं किया गया। यदि मैटेरियल फेल था तो इसकी कटौती रनिंग बिल से कर ली जानी चाहिए थी। जब सतर्कता संगठन द्वारा इसको चेक किया गया, उसके पश्चात वर्तमान उप मुख्य इंजीनियर द्वारा रूपया 78,93,587.00/- की कटौती प्रस्तावित की गई।
- 5- इस जांच में यह भी स्पष्ट है कि भुगतान से पूर्व लिए गए सैंपल ब्लैकेटिंग मैटेरियल के स्टैक का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते थे क्योंकि ब्लैकेटिंग मैटेरियल को पास किये जाने के 6 माह उपरांत ही स्टैक निर्धारित मानक के अनुसार उचित नहीं होने के कारण फेल हो गए।

निविदा आमंत्रण हेतु मदों की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पद्धति सुधार

अतुल कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/इंजी०)

एक जाँच में यह पाया गया कि एक आमंत्रित निविदा में कार्य की जो अनुमानित लागत दी गई थी वह निविदा में संलग्न टेंडर शेड्यूल के विभिन्न मदों के मूल्य के कुल योग के समान नहीं था जिसका कारण इस टेंडर शेड्यूल को बनाए जाने से पूर्व स्वीकृत किये गए इसके टेंडर एस्टीमेट में इन मदों की दर को निर्धारण पूर्व स्वीकृत दर (बेसिक दर) पर जोनल इंक्रीमेंट को जोड़ते हुए किया गया था एवं इन मदों की प्राप्त अद्यतन दरों के अनुसार, आमंत्रित निविदा में कार्य की कुल अनुमानित लागत को दर्शाया गया था जबकि इसके टेंडर शेड्यूल में इन मदों में केवल बेसिक दर को ही दर्शाया गया। इसके अलावा कुछ मदों की दरों का निर्धारण केवल एक LAR के आधार पर किया गया था। प्राक्कलन बनाने के लिए LAR लेने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड का दिशा निर्देश रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र संख्या (ii) दिनांक 07.06.2013 को इस कार्यालय के पत्र संख्या W/362/0/A/Pt.VIII/W-3(G) दिनांक 05.07.2013 द्वारा सभी मंडलों/इकाईयों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः सभी मंडलों/इकाईयों को अनुपालन हेतु यह दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि-

1. आमंत्रित निविदा में कार्य की अनुमानित लागत निविदा में संलग्न टेंडर शेड्यूल के विभिन्न मदों के मूल्य योग के समान होना चाहिए।
2. आमंत्रित निविदा में कार्य की कुल अनुमानित लागत, टेंडर शेड्यूल में इन मदों की LAR में दी गई बेसिक दरों पर सभी प्रभावी कारकों जैसे जोनल इंक्रीमेंट, Price Escalation इत्यादि को जोड़ते हुए सुनिश्चित किया जाय।
3. रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र संख्या (ii) एवं (iii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार मदों की दरों का निर्धारण एक से अधिक LAR के औसत के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

“जन-जन हो जब भागीदार ,
तभी मिटेगा भ्रष्टाचार”

क्या आप के आस-पास भ्रष्टाचार है ?
PIDPI के तहत
शिकायत दर्ज कराएं

आप की पहचान गोपनीय रखी जायेगी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की एक पहल

PIDPI
शिकायतें :
क्या हैं ?
और कब
आपको करनी
चाहिए ?

- 1 जनहित के प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण के संकल्प के तहत की गई शिकायतों को PIDPI शिकायतें कहा जाता है |
- 2 यदि PIDPI के तहत कोई शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है |
- 3 शिकायत को सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए और लिफाफे पर "PIDPI" अंकित किया जाना चाहिए |
- 4 केवल केन्द्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों (पी.एस.बी. , पी.एस.यू. और यू.टी. सहित) के विरुद्ध शिकायतों को ही संज्ञान में लिया जायेगा |
- 5 अधिक जानकारी के लिए <http://www.cvc.gov.in> पर जाएं

लिखित में शिकायत भेजें :
सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली - 110023



अधिक जानकारी के लिए QR
code स्कैन करें

(लिफाफे पर "PIDPI" अंकित करें | शिकायतें केवल केन्द्र सरकार , पी.एस.यू., पी.एस.बी. और यू.टी. इत्यादि के कर्मचारियों के विरुद्ध ही होनी चाहिए)



सतर्कता विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

आँख मूँद लेने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाएगा



भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में
हमारा सहयोग करें

यदि कोई रेलकर्मि भ्रष्टाचार में लिप्त है तो
चुप न रहें, आवाज उठायें

सतर्कता हेल्पलाइन

139

पर कॉल करें



अधिक जानकारी के
लिए इस QR code को
स्कैन करें



सतर्कता विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

क्या भ्रष्टाचार का स्तर
सर के ऊपर जा चुका है?

तो अभी तक चुप क्यों हैं ?

भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में
हमारा सहयोग करें

यदि कोई रेलकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो
आवाज उठायें

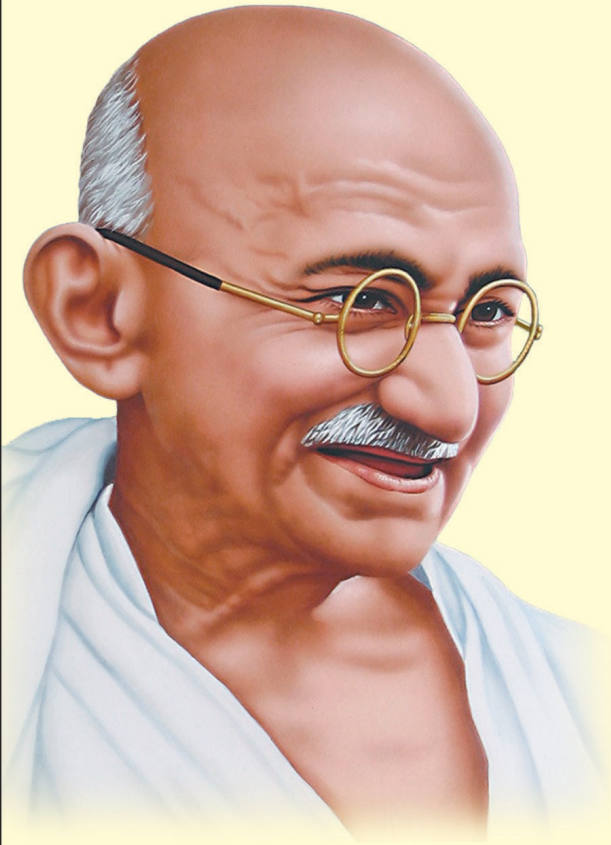


अधिक जानकारी के
लिए इस QR code को
स्कैन करें

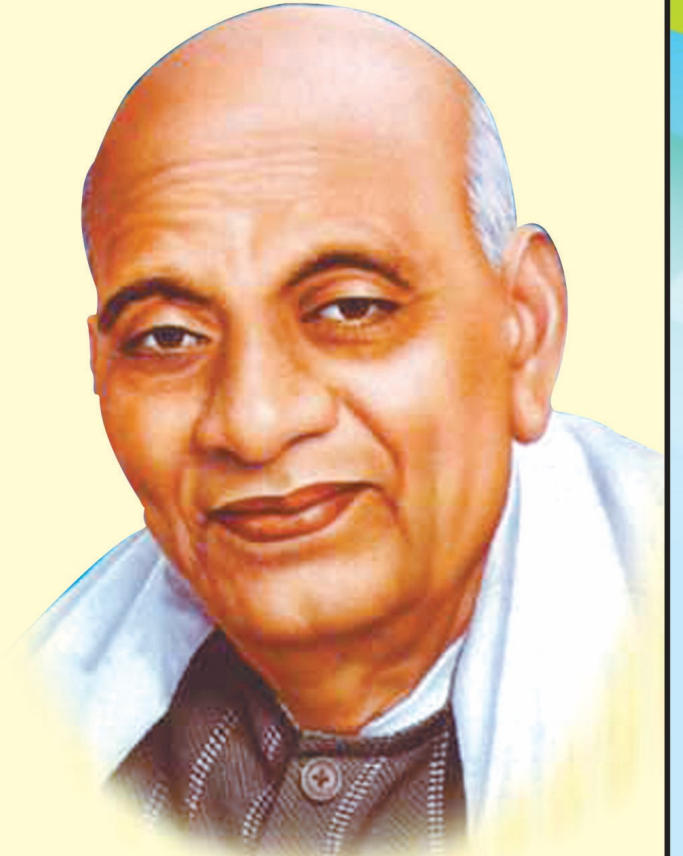
सतर्कता हेल्पलाइन

139

पर कॉल करें



October 02, 1869 - January 30, 1948



October 31, 1875 - December 15, 1950

अस्वीकरण

यह बुकलेट मात्र संकेतिक है, अपने आप में सुविस्तृत नहीं। यह संबंधित विषय पर न किसी भी प्रकार से किसी नियम, प्रक्रिया तथा वर्तमान अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं करता। इस बुकलेट में उल्लेखित प्रावधान किसी भी प्रकार से किसी भी रेलवे कोड एवं परिपत्रों का जिनका इसमें हवाला दिया गया है का अधिक्रमण नहीं करता एवं मामलों को सही संदर्भ में समझने के लिए इन्हें अन्य संगत पॉलिसी/सर्कुलर के समायोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस बुकलेट को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए एवं जहां कहीं आवश्यक हो तो संबंधित विषय से संबद्ध मूल आदेश को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।